



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245283
CG-DL-E-20042023-245283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945

No. 101]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

नियम

सं.11013/01/2023-आई.एस.एस.—निम्नलिखित सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान में रिक्तियों को भरने के लिए 2023 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। सभी उम्मीदवारों (महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे इन नियमों और इन नियमों से तैयार की गई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सूचना को ध्यान से पढ़ लें।

(1) भारतीय आर्थिक सेवा

(2) भारतीय सांख्यिकी सेवा

2. परीक्षा परिणामों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रूप में किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी भी सेवा अर्थात् भारतीय आर्थिक सेवा अथवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए प्रतियोगी हो सकता है।

5. उम्मीदवार को या तो:-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(घ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जेरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो:परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (घ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य हों उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली अगस्त, 2023 को 21 वर्ष की होनी चाहिए किन्तु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1993 से पहले और 1 अगस्त, 2002 के बाद का न हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी:—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं;

(3) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(4) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 2023 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2023 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(5) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, आपातकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त, 2023 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक;

(6) (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग (ई) अ से द के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 6(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों तथा विक्लांग व्यक्तियों आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी -3 : उपर्युक्त नियम 6(ख)(4) तथा (5) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी 4: उपर्युक्त नियम 6(ख) (6) के अन्तर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु पात्रता पर भी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उ(रण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 1:- उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और उसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें के उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार आवेदन पत्र में प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में/ टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 6 में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाता है, जैसा कि आयोग द्वारा अपने परीक्षा के नोटिस में अधिसूचित किया गया है।

7(क) परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधन मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धरा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

(ख) परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधन मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी 1:- यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2023 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की अंतिम तारीख तक जारी किया गया होना चाहिए।

टिप्पणी 2 :- विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3 :- जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है तथा जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

9. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अन्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

10. किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिसके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वह पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) न हो। उम्मीदवारों द्वारा एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

12(1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

13. जो उम्मीदवार प्रत्येक सेवा के लिए लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों या ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] के उम्मीदवारों या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

14(1) साक्षात्कार के बाद, प्रत्येक सेवा के लिए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा जैसा कि अंत में लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में और उस क्रम में प्रत्येक उम्मीदवार को प्रदान किए गए कुल अंकों के अनुसार, इतने सारे उम्मीदवार पाए जाते हैं आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य होने के लिए परीक्षा के परिणामों पर भरे जाने वाले अनारक्षित रिक्तियों की संख्या की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग], अन्य पिछड़ी श्रेणियों और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक स्तर में छूट देकर उनकी अनुशंसा की जा सकती है। बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों :

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता अथवा चयन मानदण्ड में रियायत/छूट के बिना की गई है और जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा के लिए उपयुक्त पाए गए, उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा, बल्कि सर्वप्रथम उन्हें आयोग द्वारा अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

नोट: बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के तहत आने वाले पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा तथा मेडिकल फिटनेस के संबंध में ऐसे उम्मीदवारों की दिव्यांगता, जिससे वे पीडित हैं, को छूट/रियायत नहीं माना जाएगा।

15. बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार निर्धारित अर्हता स्तर में छूट दे सकता है।

16. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किसी रूप में और किसी प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा तथा आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

17. परीक्षा में सफल होने से आवंटन एवं नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच प्रक्रिया के पश्चात इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि उम्मीदवार अपने चरित्र तथा पूर्ववृत्त तथा पात्रता के प्रयोजन हेतु

परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों तथा आरक्षण संबंधी किसी भी प्रकार का लाभ लेने के संबंध में किए गए दावों के संबंध में तथा सेवा आवंटन / नियुक्ति संबंधी चिकित्सा जांच में उपयुक्त पाए गए हैं। इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षण भाग-I कराई जाएगी। तथा इस परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से सफल घोषित किए जाने पर चिकित्सा परीक्षा भाग-II कराई जाएगी। भाग-I तथा भाग-II के चिकित्सा परीक्षा विवरण इन नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए गए हैं। उम्मीदवार को अपीलिय मामले के अलावा चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

टिप्पणी:- कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किसी प्रकार की डॉक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किसी प्रकार का होना चाहिए, उसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवा की आवश्यकता के अनुरूप डॉक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

19. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का लाभ उठाने के मामले में पात्रता की शर्तें वही होंगी, जो “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” के अंतर्गत निर्धारित हैं। एकाधिक विकलांगता वाले उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अंतर्गत केवल श्रेणी (ड.)-एकाधिक विकलांगता, के तहत आरक्षण के पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के तहत श्रेणी (क) से (घ) के अंतर्गत, 40% तथा इससे अधिक विकलांगता होने के आधार पर, किसी अन्य विकलांगता श्रेणी के तहत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

बशर्ते कि बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को, चिन्हित सेवा/पद की अपेक्षाओं के अनुसार, शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (क्षमता/अक्षमता) के संदर्भ में अर्हता की विशेष शर्तों को भी पूरा करना होगा।

20. किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो।

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने वाले अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2022-23, 2021-22, तथा 2020-21 की आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो 01.04.2023 (वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति के उपरांत) को/ के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद का न हो।

यदि कोई उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा.को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा.को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के

उपरांत परीक्षा के प्रत्येक चरण पर सामान्य मेरिट के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदण्डों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) के किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी विकलांगता की उप-श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत सामान्य रूप में पालन किया जाएगा, वहां कुछ मामलों में भी हो सकता है, जहां किसी भी सरकारी समुदाय के किसी भी आरक्षित समुदायों की सूची में एक सरकारी अधिसूचना जारी करने और 3 माह से अधिक अंतर नहीं हो। उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा करना। ऐसे मामलों में सामान्य से आरक्षित को समुदाय के परिवर्तन का अनुरोध योग्यता पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है। उम्मीदवार के मामले में दुर्भाग्य से परीक्षा के दौरान बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति बनने के बाद, उम्मीदवार को वैध दस्तावेजों का उत्पादन करना चाहिए ताकि आयोग को योग्यता के मामले में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। अभ्यर्थी के मामले में दुर्भाग्य से परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति बनने के बाद, उम्मीदवार को वैध विकलांग दस्तावेजों का उत्पादन करना चाहिए, जिसमें उसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 40% को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए प्रदान किया गया है - बशर्ते वह नियम / उपरोक्त नियम 19 के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए पात्र नहीं है।

21. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंच मार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करते समय, ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए अनुसार, उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिए। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2022-23 हेतु अपेक्षित आय के आधार पर आय और संपदा प्रमाणपत्र हो जो 01.04.2022 (वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्ति के उपरांत) को/के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद का न हो।

22. जिस व्यक्ति ने, :-

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया है, तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसे करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

तनवीर क्रमर मोहम्मद, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

परिशिष्ट- I
परीक्षा की योजना
खण्ड- I

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी।

भाग-I : नीचे दिखाए गए विषयों में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 1000 होंगे।

भाग-II : आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

भाग-I के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है।

(क) भारतीय आर्थिक सेवा

क्र. सं.	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र-I	200	3 घंटे
4.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	200	3 घंटे
5.	सामान्य अर्थशास्त्र-III	200	3 घंटे
6.	भारतीय अर्थशास्त्र	200	3 घंटे

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्र. सं.	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सांख्यिकी-I (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घंटे
4.	सांख्यिकी-II (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घंटे
5.	सांख्यिकी-III (वर्णनात्मक)	200	3 घंटे
6.	सांख्यिकी-IV (वर्णनात्मक)	200	3 घंटे

नोट-1 : सांख्यिकी I और II में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे (प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 80 प्रश्न होंगे जिन के लिए अधिकतम अंक 200 है) जिन्हें 120 मिनटों में किया जाना है।

नोट-2 : सांख्यिकी प्रश्न-पत्र III और IV वर्णनात्मक प्रकार का होगा जिसमें लघु उत्तर/लघु प्रश्न (50%) तथा लंबे उत्तर और बोधन क्षमता के प्रश्न (50%)। प्रत्येक खंड में से एक लघु प्रश्न प्रकार का और एक प्रश्न का हल देना अनिवार्य है। सांख्यिकी-IV पेपर में सात खंड होंगे। उम्मीदवारों को उनमें से किन्हीं दो खंडों को चुनना होगा। सभी खंडों के समान अंक होंगे।

नोट-3 : सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के पेपर जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, दोनों के लिए समान हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

नोट-4 : भारतीय आर्थिक सेवा के सभी अन्य पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

नोट-5 : परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्या का विवरण नीचे खंड-2 में दिए गए हैं।

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परम्परागत (निबंध) प्रकार के होंगे।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने चाहिए। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

4(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों बाजूएं प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4(ii) अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VI के प्रपत्र में मांगा जाएगा (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट- VIII (उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिनकी लेखन क्षमता प्रभावित है)।

(iii) स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, ऐसे उम्मीदवार प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.5 पात्र उम्मीदवारों द्वारा मांग किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय उन्हें प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी-1 : किसी लेखन सहायक (स्क्राइब) की पात्रता की शर्तें परीक्षा हॉल में उसके आचरण तथा वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में पात्र उम्मीदवार (उपरोक्त यथापरिभाषित) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के अतिरिक्त लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी-2 % दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

बेहतर आँख और बेहतर करना	खराब आँख उत्तम तरीके से ठीक करना	अपंगता प्रतिशत	विकलांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
अथवा	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
अथवा	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ङ (अल्प दृष्टि)
फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक			
3/60 से 1/60 तक से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
अथवा			
फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम			
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

4.5 दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी A

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के लिए एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. कम-से-कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा।

9. प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक एस. आई. इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा में वर्णनात्मक प्रकार के पेपरों में वैज्ञानिक (गैर-प्रोग्रामयोग्य प्रकार) कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रोग्राम प्रकार कैलकुलेटर, हालांकि, अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे कैलकुलेटर का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का सहारा लेने के समान होगा। परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर के लोनिंग या इंटरचेंज की अनुमति नहीं है।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

भाग-2

मौखिक परीक्षा - उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीय जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचनी होगी। साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षा तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझबूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिसके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, उद्देश्य, उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता आलोचना ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

खण्ड-2**परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम**

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे। अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत तो तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं के विशेष रूप से परिचित हों।

सामान्य अंग्रेजी (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके। संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्य: गद्यांश दिए जाएंगे।

सामान्य अध्ययन (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन किया हो। इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनितिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

सामान्य अर्थशास्त्र-I (केवल भा.आ.से. हेतु)**भाग क:**

1. उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत : मूलाधार उपयोगिता विश्लेषण: सीमांत उपयोगिता और मांग, उपभोक्ता अधिशेष अनधिमान वक्र, विश्लेषण और उपयोगिता कार्य, मूल्य आय और स्थापना प्रभाव, स्लूटस्की प्रमेय और मांग वक्र ह्रास, प्रकटित अधिमान उपागम, द्वायात्मक और प्रत्यक्ष उपयोगिता कार्य और व्यय फलन, जोखिम और अनिश्चयता के अंतर्गता विकल्प, पूर्ण सूचना के सरल क्रियाकलाप, नैश संतुलन की अवधारणा।
2. उत्पादन के सिद्धांत : उत्पादन के कारण और उत्पादन, फलन के रूप के; काब-डगलस, स्थिर लोच स्थानापन्नता और नियत गुणांक प्ररूप, ट्रान्सलोग उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, प्रतिफल के अनमाप, उत्पादन के प्रतिफल संबंधी कारक, द्वायात्मक तथा लागत फलन, फर्मों की उत्पादक क्षमता का माप, तकनीकी एवं निर्धारण क्षमता, आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन उपागम-फर्म तथा उद्योग का संतुलन।
3. मूल्य के सिद्धांत : विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अंतर्गत कीमत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र कीमत निर्धारण, सीमांत, लागत कीमत निर्धारण चरम भार कीमत निर्धारण प्रति आर्थिक सहायता मुक्त कीमत निर्धारण तथा औसत लागत

कीमत निर्धारण, मार्शल तथा वालरसन की स्थिरता विश्लेषण, अपूर्ण सूचना तथा व्यावहारिक संकटग्रस्त समस्याओं सहित कीमत निर्धारण।

4. वितरण के सिद्धांत : नव क्लासिकी वितरण के सिद्धांत : कारकों की कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कारकों का योगदान तथा उनके समूहन की समस्या-आयलर प्रमेय, अपूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत कारकों का मूल्य निर्धारण, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार, रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कैलेकी के समिष्ट वितरण सिद्धांत।

5. कल्याण मूलक अर्थशास्त्र : अंतरवैयक्तिक तुलना तथा समूहन की समस्या, सार्वजनिक वस्तुएं तथा निकासी, सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण के बीच अपसरण, प्रतिपूर्ति सिद्धांत, पैरेटो का इष्टतमवाद, सामाजिक वरण तथा अन्य अभिनव स्कूल, कोसे और सेन तथा गेम विचारधाराओं सहित।

भाग ख:

अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां

1. अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां : विभेदीकरण और एकीकरण तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, इष्टतमीकरण तकनीक, सेट्स, आव्यूह (मैट्रिसेज) तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, रैखिक बीजगणित और अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन और लियोनटिफ का निविष्ट-उत्पादन प्रदर्श (मॉडल)।

2. सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियां : केन्द्रीय प्रवृत्ति और परिक्षेपण का मापन, सहसंबंध और समाश्रयण, काल श्रेणी सूचकांक, प्रतिचयन एवं सर्वेक्षण विधियां, प्राक्कल्पना परीक्षण, सरल अप्राचलिक परीक्षण, विभिन्न रैखिक एवं अरैखिक फलनों पर आधारित वक्ररेखन न्यूनतम विधियां और अन्य बहुचर विश्लेषण (केवल अवधारणा तथा परिणामों की व्यवस्था), प्रसरण का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, विभेदी विश्लेषण, आय वितरण; पैरेटो का वितरण नियम, लघुगणक प्रसामान्य वितरण, आय असमानता का मापन, लौरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक, एकचर और बहुचर परावर्तन विश्लेषण, अपारंपरिक, स्वतः सह-संबद्ध और मल्टी कोलनियरिटी की समस्याएं और समाधान।

सामान्य अर्थशास्त्र-II (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. आर्थिक विचारधारा : वाणिज्यवादी भू-अर्थशास्त्री, क्लासिकी, मार्क्सवादी, नव क्लासिकी, केंस और मौद्रिकवादी स्कूल विचारधारा।

2. राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा : राष्ट्रीय आय का मापन, सरकारी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर आधारित राष्ट्रीय आय के रोजगार और उत्पादन के तीन प्रचालित मापों के अंतः संबंध, पर्यावरणीय प्रतिफल, ग्रीन राष्ट्रीय आय।

3. रोजगार, उत्पादन, मुद्रा स्फीति मुद्रा और वित्त के सिद्धांत : क्लासिकी सिद्धांत एवं नव-क्लासिकी उपागम। संतुलन, क्लासिकी के अंतर्गत विश्लेषण और नव-क्लासिकी विश्लेषण। रोजगार और उत्पादन कीन्स का सिद्धांत, कीन्सोत्तर विकास। स्फीति अंतर; मांग उत्प्रेरित बनाम लागत जन्य स्फीति-फिलिप वक्र तथा उसके नीतिगत निहितार्थ। मुद्रा, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, परिणाम सिद्धांत की फ्राइडमैन द्वारा पुनर्व्याख्या, मुद्रा की तटस्थता, ऋण योग्य निधियों की पूर्ति और मांग तथा वित्तीय बाजार में संतुलन, मुद्रा की मांग पर कीन्स का सिद्धांत। कीन्स के सिद्धांत में आईएस-एल मॉडल और एडी-एस मॉडल।

4. वित्तीय और पूंजीगत बाजार : वित्त और आर्थिक विकास, वित्तीय शेयर बाजार, गिल्ट बाजार, बैंकिंग और बीमा, इक्विटी बाजार; प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की भूमिका और कौशलता, व्युत्पन्न बाजार; भविष्य और विकल्प।

5. आर्थिक वृद्धि और विकास : आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा उनका मापन: अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा उनके विकास के अवरोधक-वृद्धि, गरीबी और आय वितरण, वृद्धि के सिद्धांत: क्लासिकी उपागम: एडमस्मिथ, मार्क्स एवं शुम्पटर-नव क्लासिकी उपागम, रॉबिन्सन, सोलो, कॉल्डोर एवं हैरोड डोमर। आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टॉव, रोसेन्स्टीन रोडन, नर्क्स, हिर्श्चमैन, लीबेल्सटिन एवं आर्थर लेविस, एमिन एवं फ्रैंक (आश्रित विचारधारा) राज्य तथा बाजार की अपनी-अपनी भूमिकाएं, सामाजिक विकास का उपयोगवादी और कल्याणवादी उपागम तथा ए.के.

सेन की समालोचना। आर्थिक विकास के लिए लेन की क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता और मानव गरीबी सूचकांक, अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत की मूल बातें।

6. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अभिलाभ, व्यापार की शर्तें, नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत: रिकार्डों, हैबर्लर, हेक्सचर-ओहलिन तथा स्टॉपलर-सैमुअलसन-प्रशुल्क के सिद्धांत - क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध, 1998 का एसियन संकट, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र संकट - कारण और प्रभाव।

7. भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में विकृति, समायोजन तंत्र, विदेश व्यापार गुणक, विनियम दरें, आयात एवं विनियम नियंत्रण तथा बहुल विनियम दरें, भुगतान संतुलन के आईएस-एलएम तथा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल।

8. वैश्विक संस्थाएं : आर्थिक मामलों में संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, जी-20

सामान्य अर्थशास्त्र—III (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. लोक वित्त: कराधान के सिद्धांत : इष्टतम कर और कर सुधार, कराधान के सूचका. सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत : सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और प्रभाव, सार्वजनिक व्यय नीति और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सार्वजनिक निवेश निर्णयों के मानदंड, छूट की सामाजिक दर, निवेश के छाया मूल्य, अकुशल और विदेशी मुद्रा, बजटीय घाटा, सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन सिद्धांत।

2. पर्यावरण अर्थशास्त्र : पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास, रियो प्रक्रिया 1992 से 2012, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, समेकित पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति, पर्यावरणीय मूल्य उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं का मूल्य, मूल्यांकन अभिकल्प और प्रकटित अधिमानक पद्धतियां, पर्यावरणीय नीतिगत लेखों का प्रकल्प: प्रदूषण कर और प्रदूषण अनुज्ञा, स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक कार्रवाई और अनौपचारिक निवियमन निःशेषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण करार, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं, क्वोटो प्रोटोकाल, 2017 तक के करार/समझौते, बाली कार्य योजना, व्यापार योग्य अनुज्ञा और कार्बन कर, कार्बन बाजार और बाजार तंत्र, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन जलवायु निधि।

3. औद्योगिक अर्थशास्त्र : बाजार ढांचा, फर्मों का संचालन और कार्य निष्पादन, उत्पाद विभेदीकरण और बाजार संकेन्द्रण, एकाधिकारात्मक मूल्य सिद्धांत और अल्पाधिकारत्मक अंतरनिर्भरता और मूल्य निर्धारण, प्रविष्टिनिवारक मूल्यनिर्धारण, स्तर निवेश निर्णय और फर्मों का व्यवहार, अनुसंधान और विकास तथा नवीन प्रक्रिया, बाजार, ढांचा और लाभकारिता, फर्मों की लोकनीति का विकास।

4. राज्य, बाजार एवं नियोजन : विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन विनियमन और बाजार, सूचक नियोजन, विकेन्द्रीकृत नियोजन।

भारतीय अर्थशास्त्र (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. विकास एवं योजना का इतिहास : वैकल्पिक विकास नीतियां आयात स्थानापति और संरक्षण पर आधारित आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन-संवेष्टन पर आधारित 1991 के बाद के वैश्वीकरण नीतियां: राजकोषीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा व्यापार संबंधी सुधार।

2. संघीय वित्त : राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग और करों में भागीदारी के विषय में उनके सूत्र, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का वित्तीय पक्ष, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों का वित्तीय पक्ष।

3. बजट निर्माण तथा राजकोषीय नीति : कर, व्यय बजटीय घाटा, पेंशन एवं राजकोषीय सुधार, लोक ऋण प्रबंधन और सुधार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, भारत में काला धन तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था परिभाषा, आकलन, उत्पत्ति, परिणाम तथा उपचार।

4. निर्धनता, बेरोजगारी तथा मानव-विकास : भारत में असमानता तथा निर्धनता उपायों का आकलन, सरकारी उपायों का मूल्यांकन, विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का मानव सांसाधन विकास। भारत की जनसंख्या नीति तथा विकास।

5. कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी रणनीतियां : प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं : भूमि संबंध तथा भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, आधुनिक कृषि निविष्टियां तथा विपणन, मूल्यनीति तथा उत्पादान-वाणिज्यकरण तथा विशाखन। निर्धनता प्रशमन कार्यक्रम सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास तथा नवीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
6. नगरीकरण एवं प्रवास के संबंध में भारत का अनुभव : प्रवासन प्रवाह के विभिन्न प्रकार और उद्भव तथा स्थानों की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, नगरीय अधिवास की विकास प्रक्रिया नगरीय विकास रणनीतियां।
7. उद्योग : औद्योगिक विकास की रणनीति : औद्योगिक नीति में सुधार, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, औद्योगिक वित्त के स्रोत, बैंक, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, बैंकें स्रोत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश एवं सूचीगत निवेश में विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार निजीकरण तथा विनिवेश।
8. श्रम : रोजगार, बेरोजगारी तथा आंशिक रोजगार, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कल्याण-रोजगार सृजन के लिए रणनीति-नगरीय श्रम बाजार तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, श्रम संबंधी सामाजिक मुद्दे जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और इस के प्रभाव।
9. विदेश व्यापार : भारत के विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, व्यापार की संरचना, दिशा तथा व्यवस्था व्यापार नीति संबंधी अभिनव परिवर्तन भुगतान संतुलन, प्रशुल्क; टैरिफ नीति, विनिमय दर तथा भारत और विश्वव्यापार संवन्धन (डब्ल्यूटीओ) की अपेक्षाएं, द्विपक्षीय व्यापार करार और उनके निहितार्थ।
10. मुद्रा तथा बैंकिंग : वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, भारतीय मुद्रा बाजार की व्यवस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, विकास वित्त पोषण संस्थाओं विदेशी बैंक तथा बैंकें वित्तीय संस्थाओं की बदलती भूमिकाएं, भारतीय पूंजी बाजार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेवा वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास तथा भारतीय वित्त से इसके संबंध, भारत में वस्तु बाजार, स्पॉट और वायदा बाजार, एफएमसी की भूमिका।
11. मुद्रास्फीति : परिभाषा, प्रवृत्तियां, आकलन परिणाम और उपाय (नियंत्रण) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अवयव और प्रवृत्तियां।

सांख्यिकी -I(वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) प्रायिकता(प्रोबेबिलिटी):

प्रायिकता और परिणामों की प्रसिद्ध एवं अभिगृहीत परिभाषाएं। पूर्ण प्रायिकता के नियम, सप्रतिबंधित प्रायिकता, बेज-प्रमेय एवं अनुप्रयोग। सतत एवं असतत यादृच्छिक चर। बंटन फलन और उसकी विशेषताएं।

मानक असतत और सतत प्रायिकता बंटन – बर्नूली, एक समान, द्विपद, प्वासों, ज्यामितिक, आयताकार, चरघातांकी, प्रसामान्य, कौशी, पराज्यामितिक, बहुपदी, लाप्लास, ऋणात्मक द्विपद, बीटा, गामा, लघुगणक। यादृच्छिक वेक्टर, संयुक्त एवं मार्जिनल बंटन, सप्रतिबंध बंटन, यादृच्छिक चर फलनों का बंटन। यादृच्छिक चरों के अनुक्रम के अभिसरण के बहुलक - बंटन में, प्रायिकता में, एक प्रायिकता के साथ तथा वर्ग माध्य(मीन स्कवेयर) में। गणितीय प्रत्याशा एवं सप्रतिबंधन प्रत्याशा। अभिलक्षण-फलन एवं आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन, प्रतिलोमन, अद्वितीयता तथा सतत प्रमेय। बोरेल 0-1 नियम, कोल्मोगोरोव, 0-1 नियम। शेवीशेफ एवं कोल्मोगोरोव की असमिका। स्वतंत्र चर के लिए वृहत संख्याओं का नियम तथा केंद्रीय सीमा प्रमेय।

(ii) सांख्यिकी विधि:

आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं प्रस्तुतीकरण, सचित्र, आरेख एवं आयतचित्र, बारंबारता बंटन, अवस्थित प्रकीर्णन/परिक्षेपण वैषम्य एवं कुकुदता की माप, द्विचर एवं बहुचर आंकड़े, साहचर्य एवं आसंग, वक्रआसंजन एवं लंबकोणीय बहुपद, द्विचर प्रसामान्य बंटन। समाश्रयण – रैखिक, बहुपद, सहसंबंध गुणांक, आंशिक एवं बहु सहसंबंध, अंतर्वर्ग सहसंबंध, सहसंबंधनुपात का बंटन।

मानक त्रुटि और वृहत प्रतिदर्श(सैम्पल)परीक्षण। प्रतिदर्श माध्य (मीन) का प्रतिदर्श वितरण, प्रतिदर्श प्रसरण, t , काई (chi) वर्ग तथा F ; इन पर आधारित सार्थकता परीक्षण, लघु प्रतिदर्श परीक्षण।

अप्राचलिक परीक्षण – समंजन सुष्ठुता, साईन माध्यिका, रन, विल्कसन, मान-विटनी, वाल्ड वुल्फोविटस एवं काल्मोगोराव-स्मिरनोव, क्रम सांख्यिकी-न्यूनतम, अधिकतम, परास एवं माध्यिका, उपगामी आपेक्षिक दक्षता की संकल्पना।

(iii) संख्यात्मक विश्लेषण:

विभिन्न क्रमों के परिमित अंतर: Δ , E और D ऑपरेटर, बहुपद का क्रमगुणित निरूपण, प्रतीकों का पृथक्करण, अंतरालों का उप-विभाजन, शून्य के अंतर।

अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की संकल्पना: सम अंतरालों, विभक्त अंतरालों पर न्यूटन ग्रेगोरी का अग्र और पश्च अंतर्वेशन(फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन) सूत्र और उनकी विशेषताएं, विभक्त अंतरालों पर न्यूटन का सूत्र, असम अंतरालों पर लेगेंजे का सूत्र, गाउस, स्टेर्लिंग और बेसल के कारण केंद्रीय अंतर सूत्र, अंतर्वेशन सूत्र में त्रुटि पद की संकल्पना।

प्रतिलोम अंतर्वेशन: प्रतिलोम अंतर्वेशन की विभिन्न विधियां।

संख्यात्मक अवकलन: समलम्बी, सिम्पसन का एक-तिहाई और तीन बटे आठ नियम तथा वेडुल के नियम।

श्रेणी-संकलन: जिसकी सामान्य परिभाषा (i) फलन का प्रथम-अंतर (ii) ज्यामितिक श्रेणी (प्रोगेशन)।

अवकलन समीकरणों के संख्यात्मक हल: ऑयलर पद्धति, मिल्ल पद्धति, पिकार्ड पद्धति और रूंगे कुट्टा पद्धति।

(iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग और डाटा प्रोसेसिंग:

कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान : कंप्यूटर ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अंकगणित और तार्किक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इत्यादि, विभिन्न प्रकार के इनपुट, आउटपुट तथा पेरिफेरल उपकरणों सहित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अंक प्रणालियां, आपरेटिंग प्रणालियां, पैकेजिज और उपयोगिताएं, सरल और जटिल भाषा स्तर, संकलनकर्ता, एसेम्बलर, मेमोरी- रैम, रोम, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट (बिट्स, बाइट्स इत्यादि), नेटवर्क – लैन(LAN), वैन(WAN), इंटरनेट, इन्ट्रानेट, कंप्यूटर सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांत, वायरस, एन्टी वायरस, फायरवॉल, स्पाईवेयर, मालवेयर आदि।

प्रोग्रामिंग के मूलभूत सिद्धांत: एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, डाटा, सूचना, डाटाबेस, विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का सिंहावलोकन, परियोजना का फ्रंट एंड और बैक एंड, चर, नियन्त्रण संरचना, सरणी और उनके प्रयोग, प्रकार्य, माड्यूलस, लूप्स, प्रतिबंधी विवरण, अपवाद, डिबगिंग और संबंधित संकल्पनाएं।

सांख्यिकी-II (वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) रैखिक मॉडल :

रैखिक आकलन सिद्धांत, गाउस-मार्कोव रैखिक मॉडल, आकलन योग्य प्रकार्य, त्रुटि और आकलन अंतराल, सामान्य समीकरण और अल्पतम वर्ग आकलक, त्रुटि परिवर्तन का आकलन, परस्पर प्रेक्षणों का आकलन, अल्पतम वर्ग आकलकों के विशेषताएं, मैट्रिक्स का सामान्यीकृत प्रतिलोम और सामान्य सूत्रों का हल, अल्पतम वर्ग आकलकों के प्रसरण और सहप्रसरण।

एकतरफा (वन-वे) एवं दोतरफा (टू-वे) वर्गीकरण, नियत, यादृच्छिक और मिश्रित प्रभाव मॉडल। प्रसरण का विश्लेषण (केवल दोतरफा वर्गीकरण), टके, स्केफी और स्टुडेंट-न्यूमेन-कीयूल-डंकन के कारण बहु तुलनात्मक परीक्षण।

(ii) सांख्यिकीय निष्कर्ष और परिकल्पना परीक्षण:

अच्छे आकलन की विशेषताएं: अधिकतम संभाविता, अल्पतम काई-वर्ग, आघूर्ण एवं न्यूनतम वर्ग के आकलन की विधियां, अधिकतम संभाविता आकलकों के इष्टतम गुण। न्यूनतम प्रसरण अनभिन्नत(अनबायस्ड) आकलक। न्यूनतम प्रसरण परिबद्ध आकलक, क्रामर-राव असमिका। भट्टाचार्य परिबद्ध। पर्याप्त आकलक। गुणनखंडन प्रमेय। पूर्ण सांख्यिकी राव ब्लैकवेल प्रमेय। विश्वास्यता अंतराल आकलन। इष्टतम विश्वास्यता परिबद्ध। पुनः प्रतिदर्शग्रहण, बूटस्ट्रेप एवं जैकनाइफ।

परिकल्पना परीक्षण: सरल एवं मिश्र परिकल्पना। दो प्रकार की त्रुटियां। क्रांतिक क्षेत्र(क्रीटीकल रीजन)। विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र एवं समरूप क्षेत्र। क्षमता फलन। शक्ततम एवं एक समान शक्ततम परीक्षण। नेमेन – पियर्सन मूल लेमा।

अनभिन्नत परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण। संभावित अनुपात परीक्षण वाल्ड, एस.पी.आर.टी, ओ.सी. एवं ए.एस.एन फलन। निर्णय सिद्धांत के अवयव।

(iii) आधिकारिक सांख्यिकी:

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली

आधिकारिक सांख्यिकी: (क) आवश्यकता, उपयोग, उपयोगकर्ता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, सीमाएं, पारदर्शिता और इसका प्रकटीकरण (ख) संकलन, संग्रहण, संसाधन, विश्लेषण तथा प्रसार इसमें शामिल एजेंसियां, पद्धतियां।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन: दृष्टि तथा लक्ष्य(विजन और मिशन), एनएसएसओ तथा सीएसओ, भूमिकाएं तथा दायित्व, महत्वपूर्ण कार्यकलाप, प्रकाशन आदि।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग: आवश्यकता, गठन, इसकी भूमिका, प्रकार्य आदि; विधिक अधिनियम/उपबंध/ आधिकारिक सांख्यिकी के लिए अवलंब; महत्वपूर्ण अधिनियम।

सूचकांक: विभिन्न प्रकार, आवश्यकता, आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, आवधिकता, सम्मिलित एजेंसियां, उपयोग।

क्षेत्रवार सांख्यिकी: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल इत्यादि महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं जनगणना, संकेतक, एजेंसियां तथा परिपाटी इत्यादि।

राष्ट्रीय लेख: परिभाषा, बुनियादी संकल्पनाएं, मुद्दे, कार्यनीति, आंकड़ों का संग्रहण तथा जारी करना।

जनगणना: आवश्यकता, संग्रहित आंकड़े, आवधिकता, आंकड़ा संग्रहण की पद्धतियां, उनका प्रसार, सम्मिलित एजेंसियां।

विविध: सामाजिक-आर्थिक संकेतक, महिला संबंधी विषयों पर जागरूकता/सांख्यिकी, महत्वपूर्ण सर्वेक्षण तथा जनगणनाएं।

सांख्यिकी-III (वर्णनात्मक) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) प्रतिदर्शग्रहण तकनीक

जनगणना और प्रतिदर्श की संकल्पना, प्रतिदर्शग्रहण की आवश्यकता, सम्पूर्ण गणन बनाम प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिदर्शग्रहण हेतु मूल संकल्पनाएं, प्रतिदर्शग्रहण और गैर-प्रतिदर्शग्रहण त्रुटि, प्रतिदर्श सर्वेक्षण (क्षेत्र अन्वेषण में अपनायी गई प्रश्नावलियों, प्रतिदर्शग्रहण का डिजाइन और विधियों) में एनएसएसओ द्वारा अपनायी गई कार्य पद्धतियां।

विषयपरक अथवा उद्देश्यपरक प्रतिदर्शग्रहण, प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण अथवा यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिस्थापन सहित और इसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, जनगणना माध्य(मीन) का आकलन, जनसंख्या समानुपात और उनकी मानक त्रुटियां, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, समानुपातिक और इष्टतम आबंटन, नियत प्रतिदर्श आकार के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण से तुलना। सहप्रसरण और प्रसरण प्रकार्य।

आकलन की अनुपात, गुणनफल और समाश्रयण विधियां, जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन, प्रथम कोटिक सन्निकटन की अभिनति और प्रसरण का मूल्यांकन, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना।

क्रमबद्ध प्रतिदर्शग्रहण (इसमें जनसंख्या आकार (N) एक पूर्णांक है जोकि प्रतिदर्शग्रहण आकार(n) का गुणांक है)। जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन और इस आकलन की मानक त्रुटि, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना।

आकार के समानुपातिक (प्रतिस्थापन विधि सहित तथा इसके बिना) प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण $n=2$, के लिए देशराज और दास आकलक, हार्विट्ज-थॉमसन आकलक।

समान आकार वाले समूह का प्रतिदर्शग्रहण:- जनगणना माध्य (मीन) और जोड़ के आकलक तथा उनकी मानक त्रुटियां, अंतरा-वर्ग सहसंबंध सहगुणांक के रूप में समूह प्रतिदर्शग्रहण की एसआरएस के साथ तुलना।

बहुचरणीय प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना और इसके अनुप्रयोग, दूसरे चरण की इकाइयों की संख्या को समान रखते हुए द्वि चरणीय प्रतिदर्शग्रहण। जनसंख्या माध्य(मीन) और जोड़ का आकलन। दोहरा प्रतिदर्शग्रहण अनुपात और आकलन की समाश्रयण विधियां।

परस्पर वेधी(इंटरपेनिट्रेटिंग) उप-प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना।

(ii) अर्थमीति

अर्थमीति की प्रकृति, सामान्य रैखिक मॉडल (जीएलएम) तथा इसका विस्तार, साधारण अल्पतम वर्ग आकलन (OLS) और प्रागुक्ति(प्रेडिक्शन), सामान्यीकृत अल्पतम वर्ग आकलन (GLS) और प्रागुक्ति, विषम विचालिता विश्लेषण (हेटेरोस्केडेस्टिक डिस्ट्रिब्यून्स), शुद्ध और मिश्रित आकलन ।

स्व-सहसंबंध, इसके परिणाम और परीक्षण, थेएल बीएलयूएस प्रक्रिया, आकलन और प्रागुक्ति, बहु सह-रैखिकता की समस्या, इसके निहितार्थ और समस्या का हल निकालने के साधन, रिज समाश्रयण ।

रैखिक समाश्रयण और प्रसंभाव्य समाश्रयण, साधनभूत चर आकलन, चरों में त्रुटियां, स्व-समाश्रयण, रैखिक समाश्रयण, पश्चगामी चर, बंटित पश्चता(लैग) मॉडल, ओएलएस पद्धति से पश्चताओं का आकलन, कोएक का ज्यामितिक पश्चता मॉडल ।

युगपत रैखिक समीकरण मॉडल और इसका व्यापकीकरण, समस्या का अभिनिर्धारण, संरचनात्मक पैरामीटरों पर प्रतिबंध, कोटिक्रम स्थितियां ।

युगपत समीकरण मॉडल आकलन, पुनरावर्तन प्रणालियां, 2 एसएलएस आकलक, सीमित सूचना आकलक, के-वर्ग (k-class) आकलक, 3 एसएलएस आकलक, पूर्ण सूचना अधिकतम संभाविता विधि, प्रागुक्ति और युगपत विश्वास्यता अन्तराल ।

(iii) अनुप्रयुक्त सांख्यिकी

सूचकांक: मूल्य सापेक्षताएं और परिमाण अथवा मात्रा सापेक्षताएं, सूचकांक का लिंक और शृंखला सापेक्ष संघटन; लस्पेयरे पासचेस, मार्शल एजवर्थ और फिशर सूचकांक, शृंखला आधारित सूचकांक, सूचकांक के लिए परीक्षण, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना, आय वितरण-परेटो और एंजेल वक्र, केन्द्रण वक्र, राष्ट्रीय आय का आकलन करने की विधियां, अंतर-क्षेत्रीय प्रवाह, अन्तर-उद्योग तालिका, सीएसओ की भूमिका, मांग विश्लेषण ।

काल श्रेणी (टाइम सीरीज) विश्लेषण: आर्थिक काल श्रेणी (इकॉनॉमिक टाइम सीरीज), विभिन्न घटक, दृष्टांत, योगात्मक और गुणात्मक मॉडल, प्रवृत्ति का निर्धारण, मौसमी और चक्रीय उतार-चढ़ाव।

असतत पैरामीटर प्रसंभाव्य प्रक्रम के रूप में काल श्रेणी, स्वचल सहप्रसरण और स्वचल सहसंबंध प्रकार्य और उनके गुण।

अन्वेषी काल श्रेणी विश्लेषण, प्रवृत्ति और मौसम-तत्व का परीक्षण, चरघातांकी और गतिमान माध्य(एवरेज) समरेखण (एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज स्मूदिंग) । होल्ट-विंटेर्स स्मूदिंग, समरेखण (स्मूदिंग) पर आधारित पूर्वानुमान ।

अचल (स्टेशनरी) प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन : (1) गतिमान माध्य(एवरेज) (एम ए), (2) स्व समाश्रयी (एआर), (3) एआरएमए तथा (4) एआर समेकित एमए (एआरआईएमए) मॉडल । बॉक्स जेनकिन्स मॉडल, एआर तथा एमए अवधियों का चयन ।

वृहत प्रतिदर्श सिद्धांत के अधीन माध्य(मीन) के आकलन, स्व सहप्रसरण तथा स्व सहसंबंध प्रकार्य पर चर्चा(साक्ष्य के बिना), एआरआईएमए मॉडल पैरामीटर के आकलन ।

क्षीण अचल प्रक्रियाओं का मानावलीय(स्पेक्ट्रल) विश्लेषण, आवर्तिता वक्र (पीरियडोग्राम) तथा सह-संबंध चिह्न (कोरिलोग्राम) विश्लेषण, फूरिए रूपान्तर पर आधारित अभिकलन ।

सांख्यिकी-IV (वर्णनात्मक) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(नीचे दिए गए सभी खंडों में प्रश्नों की संख्या बराबर है अर्थात् इनके लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं । अभ्यर्थियों को किन्हीं दो खंडों का चयन करके उनके उत्तर देने हैं)

I. संक्रिया विज्ञान अनुसंधान एवं विश्वसनीयता:

संक्रिया विज्ञान अनुसंधान की परिभाषा तथा विषय-क्षेत्र : संक्रिया विज्ञान अनुसंधान के चरण, मॉडल तथा उनके हल, अनिश्चितता तथा जोखिम के अंतर्गत निर्णय लेना, अलग-अलग मानदंडों का उपयोग, सुग्राहिता विश्लेषण।

परिवहन तथा नियतन समस्याएं: बेलमैन का इष्टतमता का सिद्धांत, सामान्य निरूपण, अभिकलन पद्धतियां तथा एलपीपी के लिए गतिक प्रोग्रामन का अनुप्रयोग ।

प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निर्णय लेना, द्वि व्यक्तीय खेल(टू पर्सन्स गेम), शुद्ध तथा मिश्रित कार्यनीतियां, शून्य-योग खेल (जीरो-सम गेम) में समाधान की विद्यमानता और मान की अद्वितीयता, 2×2 , $2 \times m$ तथा $m \times n$ खेलों में समाधान ढूँढना ।

तालिकाओं(इन्वेंट्री) संबंधी समस्याओं की विश्लेषणात्मक संरचना, हैरिस का इओक्यू सूत्र, इसका सुग्राहिता विश्लेषण तथा मात्रा मितिकाटा और कमियों की अनुमति देते हुए विस्तरण। व्यवरोधयुक्त बहुपद तालिका, यादृच्छिक मांग मॉडल, स्थैतिक जोखिम मॉडल । स्थिर और यादृच्छिक अग्रता काल वाली P तथा Q-प्रणालियां ।

पंक्ति-मॉडल विनिर्देश और प्रभाविता के उपाय । पंक्ति-लंबाई तथा प्रतीक्षा काल से संबंधित बंटनों के साथ M/M/1, M/M/c के माडलों के स्थायी-अवस्था समाधान। M/G/1 पंक्ति तथा पोल्लाजेक-खिशिन परिणाम ।

अनुक्रमण तथा अनुसूचन(शेड्यूलिंग) समस्याएं । सभी कार्यों के लिए समरूप मशीन अनुक्रम के साथ 2-मशीन n-जॉब तथा 3-मशीन n-जॉब संबंधी समस्याएं ।

यात्रा कर रहे सेल्समैन की समस्या के समाधान के लिए ब्रांच एंड बाउंड विधि ।

प्रतिस्थापन समस्याएं- ब्लॉक एंड एज प्रतिस्थापन नीतियां ।

पीईआरटी तथा सीपीएम-मूल संकल्पनाएं । परियोजना के पूरा होने की प्रायिकता ।

विश्वसनीयता संकल्पनाएं तथा उपाय, घटक व प्रणालियां, संगत प्रणाली, संगत प्रणाली की विश्वसनीयता ।

वय-बंटन, विश्वसनीयता प्रकार्य, जोखिम दर, सामान्य एक-विचर वय-बंटन - चरघातांकी, वैबुल, गामा, आदि । द्विचर चरघातांकी बंटन । इन मॉडलों में पैरामीटरों तथा परीक्षणों का आकलन।

काल प्रभावन की धारणाएं - IFR, IFRA, NBU, DMRL तथा NBUE वर्ग तथा उनके द्वैध । चरघातांकी बंटन की विस्मृति की विशेषता ।

विभिन्न खंड वर्जित (सेंसर) आयु-परीक्षणों में और विफल मदों के प्रतिस्थापन वाले परीक्षणों में विफलता के समय पर आधारित विश्वसनीयता का आकलन । प्रतिबल-प्रबलता विश्वसनीयता तथा इसका आकलन ।

(ii) जनसांख्यिकी तथा जन्म-मरण सांख्यिकी:

जनसांख्यिकी आंकड़ों के स्रोत, जनगणना, पंजीकरण तदर्थ सर्वेक्षण, अस्पतालों के रिकॉर्ड व भारतीय जनगणना का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल ।

पूर्ण वय-सारणी तथा इसकी मुख्य विशेषताएं, वय-सारणी के उपयोग । मैकहैन्स तथा गोमपेटर्ज वक्र । राष्ट्रीय वय-सारणी। यूएन मॉडल वय-सारणी । संक्षिप्त वय-सारणी । स्थायी एवं स्थावर जनसंख्या ।

जननक्षमता की माप: अशोधित(कूड) जन्म दर, सामान्य जनन दर, आयु-विशिष्ट जन्म दर, कुल जननक्षमता दर, सकल प्रजनन दर, निवल प्रजनन दर ।

मृत्यु दर की माप: अशोधित मृत्यु दर, मानकीकृत मृत्यु दर, आयु-विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकारण मृत्यु दर ।

आंतरिक प्रवसन तथा इसकी माप, प्रवसन मॉडल, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन की संकल्पना । निवल प्रवसन । अंतरराष्ट्रीय आकलन तथा जनगणना के बाद का आकलन । प्रक्षेप विधि,संभार वक्र समंजन (लॉजिस्टिक कर्व फिटिंग)। भारत में दशवार्षिक जनगणना।

(iii) उत्तर-जीविता विश्लेषण तथा रोग-लक्षण परीक्षण:

समय की संकल्पना , क्रमिक तथा यादृच्छिक गणना, बंटन में संभाविता, इन बंटनों के लिए चर-घातांक, गामा, वीबुल, लॉगनोरमल, पेरीटो, रैखिक विफलता दर तथा अनुमिति(इन्फरेंस) ।

वय-सारणी, विफलता दर, माध्य(मीन) शेष जीवन तथा उनके प्रारंभिक वर्ग व उनकी विशेषताएं ।

उत्तरजीविता प्रकार्य का आकलन-जीवनांकिक आकलक, कपलान-मेअर आकलक, आईएफआर/ डीएफआर के पूर्वानुमान के अंतर्गत आकलन, अप्राचलीय वर्गों(नॉन-पैरामीट्रिक क्लास) की तुलना में चर-घातांकिकता का परीक्षण, कुल परीक्षण समय।
द्वि-प्रतिदर्श समस्या- गेहन परीक्षण, लॉग रैंक परीक्षण।

विफलता दर के लिए अर्ध-प्राचलीय समाश्रयण(रिग्रेशन) - एक तथा अनेक सह-परिवर्तियों के साथ कॉक्स का समानुपातिक संकट मॉडल, समाश्रयण(रिग्रेशन)गुणांक के लिए रैंक परीक्षण।

प्रतिस्पर्धा जोखिम मॉडल, इस मॉडल के लिए प्राचलीय व अप्राचलीय अनुमिति।

रोग-लक्षण परीक्षणों का परिचय : रोग-लक्षण परीक्षण की आवश्यकता तथा आचारनीति, रोग-लक्षण अध्ययनों में अभिनति यादृच्छिक त्रुटियां, रोग-लक्षण परीक्षणों का संचालन, चरण I-IV परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण, बहु-केंद्रीय परीक्षण।

आंकड़ा प्रबंधन : आंकड़ों की परिभाषा, केस रिपोर्ट फार्म, डाटाबेस डिजाइन, रोग-लक्षण की सही कार्यपद्धति के लिए डाटा संग्रहण प्रणालियां।

रोग-लक्षण परीक्षणों की रूप-रेखा : समानांतर बनाम क्रॉस ओवर डिजाइन, वर्गगत(क्रॉस सेक्शनल) बनाम अनुदैर्घ्य (लॉन्जिट्यूडनल) डिजाइन, बहुउपादानी डिजाइन की समीक्षा, रोग-लक्षण परीक्षणों के उद्देश्य तथा अंत्य बिंदु, प्रावस्था I (फ्रेज-I) परीक्षणों का डिजाइन, एकल-चरण तथा बहु-चरण प्रावस्था II परीक्षणों का डिजाइन, अनुक्रमिक निरोध(स्टॉपिंग) के साथ प्रावस्था-III परीक्षणों का डिजाइन तथा मॉनीटरन।

रिपोर्ट देना तथा विश्लेषण करना : प्रावस्था I-III परीक्षणों से प्राप्त सुनिश्चित परिणामों का विश्लेषण, रोग-लक्षण परीक्षणों से प्राप्त उत्तरजीविता आंकड़ों का विश्लेषण।

(iv) गुणवत्ता नियंत्रण:

सांख्यिकीय प्रक्रिया(प्रोसेस) तथा उत्पाद(प्रोडक्ट) नियंत्रण : उत्पाद की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता, प्रक्रिया नियंत्रण की मूल संकल्पना, प्रक्रिया(प्रोसेस) क्षमता तथा उत्पाद नियंत्रण, नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत, गुणवत्ता में भिन्नता के कारण, नियंत्रण सीमाएं, नियंत्रण बाह्य मानदंडों के उप-समूहन सारांश, p चार्ट, np चार्ट, c-चार्ट, V-चार्ट के प्रतीकों के लिए चार्ट, चरों के लिए चार्ट : R, (X, R), (X,) चार्ट।

प्रक्रिया(प्रोसेस)मॉनीटरन तथा नियंत्रण की मूल संकल्पना; प्रक्रिया(प्रोसेस)क्षमता तथा इष्टतमीकरण।

गुण(एट्रीब्यूट) तथा चर(वेरिएबल) डाटा के लिए नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत तथा समीक्षा ; नियंत्रण चार्ट की O.C. तथा A.R.L. प्रमाणन द्वारा नियंत्रण; गतिमान माध्य(एवरेज) तथा चरघातांकी रूप से भारित गतिमान माध्य(एवरेज)चार्ट; V-मास्क तथा निर्णय अंतरालों का उपयोग करके Cu-योग चार्ट; X-बार चार्ट का आर्थिक डिजाइन।

गुण(एट्रीब्यूट) निरीक्षणों के लिए स्वीकरण प्रतिदर्शग्रहण योजना; एकल तथा द्वि प्रतिदर्शग्रहण योजनाएं तथा उनकी विशेषताएँ; एक-पक्षीय तथा द्वि-पक्षीय विनिर्देश के लिए चरों द्वारा निरीक्षण की योजनाएं।

(v) बहुचर विश्लेषण

बहुचर प्रसामान्य बंटन और इसकी विशेषताएँ: बहुचर प्रसामान्य बंटन से यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण। पैरामीटरों के अधिकतम संभावित आकलक, प्रतिदर्श माध्य सदिश (मीन वेक्टर) का बंटन।

विशार्ट मैट्रिक्स – इनका बंटन और विशेषताएँ, प्रतिदर्श प्रसामान्यकृत प्रसरण का बंटन, बहु सहसंबंध गुणांकों का शून्य और गैर-शून्य बंटन।

होटलिंग का T2 और इसका प्रतिदर्शग्रहण बंटन, एक और एक से अधिक बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या के लिए माध्य सदिश(मीन वेक्टर) पर तथा साथ ही बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या में माध्य सदिश(मीन वेक्टर) के घटकों की समानता पर परीक्षण में अनुप्रयोग।

वर्गीकरण की समस्या: अच्छे वर्गीकरण के मानक, बहुचर प्रसामान्य बंटनों पर आधारित वर्गीकरण की प्रक्रिया।

प्रधान घटक, विमा(डाइमेंशन) में कमी, विहित विचर एवं विहित सह-संबंध - परिभाषा, उपयोग, आकलन और अभिकलन।

(vi) प्रयोगों का डिजाइन एवं विश्लेषण:

एक तरफा एवं दो तरफा वर्गीकरणों के लिए प्रसरण का विश्लेषण, प्रयोगों के डिजाइन की आवश्यकता, प्रयोगात्मक डिजाइन का मूल सिद्धांत (यादृच्छीकरण, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण), पूर्ण विश्लेषण तथा पूर्ण यादृच्छीकृत डिजाइनों के अभिन्यास(लेआउट), यादृच्छीकृत ब्लॉक डिजाइन और लेटिन वर्ग डिजाइन, मिसिंग प्लॉट तकनीक। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तथा स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन।

2n तथा 3n प्रयोगों में क्रमगुणित प्रयोग तथा संकरण। सह-प्रसरण का विश्लेषण। अस्वतंत्र आंकड़ों का विश्लेषण। अप्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण।

(vii) C तथा R के साथ अभिकलन (कंप्यूटिंग) :

C के मूल सिद्धांत : C-लेंग्वेज के घटक, C-प्रोग्राम की संरचना, डाटा के प्रकार, बेसिक डाटा के प्रकार, गिने हुए डाटा के प्रकार, व्युत्पन्न डाटा के प्रकार, चर कथन(वेरिएबल डिक्लेरेशन), स्थानीय, वैश्विक, प्राचलीय(पैरामीट्रीक)चर, चर का नियतन, अंकीय, संप्रतीक, रियल एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, अंकगणित, रिलेशन एवं लॉजिकल ऑपरेटर, एसाइनमेंट ऑपरेटर तथा वृद्धि और ह्रास ऑपरेटर, प्रतिबंधी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, प्रारूप रूपांतरक एवं अभिव्यंजक(एक्सप्रेसशन), लेखन और निर्वचन अभिव्यंजक, विवरणों में अभिव्यंजकों का उपयोग, बेसिक इनपुट /आउटपुट

नियंत्रण विवरण : प्रतिबंधी विवरण, इफ-एल्स, इफ-एल्स नेस्टिंग, एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, c में लूप्स, फार, वाइल डू-व्हाईल लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्जिट (), गो टू और लेवल डिक्लेरेशन, एक आयामी द्वि आयामी तथा बहुआयामी सरणी(अर्रे), संग्रहण वर्ग (स्टोरेज क्लास), स्वचालित चर, बाह्य चर, स्थैतिक चर, कथन का स्कोप एवं उनकी आवधिकता।

प्रकार्य : प्रकार्यों का वर्गीकरण, प्रकार्यों की परिभाषा तथा कथन, प्रकार्यों का मूल्यांकन, रिटर्न विवरण, प्रकार्यों में पैरामीटर पासिंग। प्वाइंटर्स (केवल संकल्पना)

संरचना : परिभाषा तथा कथन; संरचना चर(स्ट्रक्चर वेरिएबल) की संरचना (आरंभिक) तुलना, संरचनाओं की सरणी, संरचनाओं के भीतर सरणी, संरचनाओं के अंदर की संरचनाएं, संरचनाओं की प्रकार्यों के लिए पासिंग, यूनियन मेम्बर तक पहुंच (एक्सेस) वाली यूनियन, संरचना का यूनियन, यूनियन चर को प्रारंभ करना, यूनियन का उपयोग। लिंकड लिस्ट, लिनियर लिंकड लिस्ट, लिस्ट में नोड को शामिल करने, लिस्ट से नोड को हटाने की जानकारी।

C में फाइलें : फाइल को परिभाषित करना तथा खोलना, फाइल पर इनपुट – आउटपुट प्रचालन, फाइल बनाना, फाइल पढ़ना।

R में सांख्यिकी पद्धतियां तथा तकनीकें।

परिशिष्ट-II**इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा**

1. जो उम्मीदवार सफल होंगे उनकी नियुक्ति इन सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी।
2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशलता की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।
3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।
4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उसके लिए निर्धारित वेतनमान निम्न प्रकार हैं:-

(क) भारतीय आर्थिक सेवा

स्तर/पद	वेतन लेवल और वेतन मेमैट्रिक्स
(1) उच्च प्रशासनिक ग्रेड/प्रधान सलाहकार	लेवल 17 - रु.2,25,000
(2) उच्च प्रशासनिक ग्रेड/उच्च आर्थिक सलाहकार/वरिष्ठ सलाहकार	लेवल 15 - रु.1,82,200-2,24,100
(3) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आर्थिक सलाहकार/ सलाहकार	लेवल 14 - रु.1,44,200-2,18,200
(4) नान-फंक्शनल चयन ग्रेड/निदेशक/अपर आर्थिक सलाहकार	लेवल 13 - रु.1,18,500-2,14,100
(5) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उप-आर्थिक सलाहकार/संयुक्त निदेशक	लेवल 12 - रु.78,800-2,09,200
(6) वरिष्ठ समय वेतनमान/सहायक आर्थिक सलाहकार/ उप निदेशक	लेवल 11 - रु.67,700-2,08,700
(7) कनिष्ठ समय वेतनमान/सहायक निदेशक/ अनुसंधान अधिकारी	लेवल 10 - रु.56,100-1,77,500

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

स्तर/पद	वेतन लेवल और वेतन मेमैट्रिक्स
1. उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस	लेवल 16 - रु.2,05,400-2,24,400
2. उच्च प्रशासनिक ग्रेड	लेवल 15 - रु.1,82,200-2,24,100
3. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल 14 - रु.1,44,200-2,18,200
4. नान-फंक्शनल चयन ग्रेड	लेवल 13 - रु.1,18,500-2,14,100
5. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल 12 - रु.78,800-2,09,200
6. वरिष्ठ समय वेतनमान	लेवल 11 - रु.67,700-2,08,700
7. कनिष्ठ समय वेतनमान	लेवल 10 - रु.56,100-1,77,500

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड में पदोन्नति समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकारी संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. इस सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप 'क' के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शामिल होंगे।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्त के साथ ही जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट-III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। वे विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्गनिर्देशन के लिए भी हैं।

नोट: चिकित्सा बोर्ड, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्टरी परीक्षा करते समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के संगत प्रावधानों को, जिसमें अनुज्ञेय शारीरिक विकलांगता की सीमा परिभाषित की गई है, ध्यान में रखेगा।

2. (क) भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ख) चिकित्सा परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी अर्थात् भाग-I जिसमें छाती के रेडियोग्राफिक परीक्षण (एक्स-रे परीक्षण) को छोड़कर सम्पूर्ण चिकित्सा सम्मिलित है मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी और भाग-II जिसमें रेडियोग्राफिक परीक्षण (छाती का एक्सरे-परीक्षण) सम्मिलित होगा। भाग-II परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों की की जाएगी जो परीक्षण के आधार पर सफल घोषित किए जाएंगे।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाध पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लो इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवार को परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के बारे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही वह उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा। फिर भी केवल उन उम्मीदवारों की छाती का एक्स-रे किया जाएगा जिन्हें चिकित्सा परीक्षण के भाग-II के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के निदेश दिए जाएंगे।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा: वह अपने जूते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टेण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एडियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधे खड़ा होगा और उसकी एडियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स ऑफ दी हैड लेवल) हारिजंटल बार सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका : इस प्रकार उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा ताकि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। पफीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफल (शोल्डर ब्लेड) निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगुलस) से लगा और पफीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजंटल लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि पफीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक पैफलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक पैफलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा। 84-89, 86-93 आदि माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटरों से कम के भिन्न (प्रेफक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट: अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापनी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के प्रेफक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा:

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आँख	खराब आँख	अच्छी आँख	खराब आँख
(ठीक की		(ठीक की	
हुई दृष्टि)		हुई दृष्टि)	
6/9	6/9 या	जे-I	जे-II
6/9	6/12		

(घ) माययोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(च) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कंप्रेंफेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी (नाईट ब्लाइन्डनेस) : साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है : (1) विटामिन 'ए' की कमी के कारण और (2) रेटिना के शरीर रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटिनिटिस पिगमैटीसा होती है। उपर्युक्त (1) में पंफडस की स्थिति सामान्य होती है। साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाती है ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में पंफडस प्रायः होती है। अधिकांश मामलों में केवल पंफडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चलता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊँची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब पंफडस न हो तो इलेक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में अधिक समय लगता है, और विशेष प्रबंध और सामान की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण चिकित्सा जांच से इसका पता सम्भव नहीं है। इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन)

(1) आंख की उस बीमारी की या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिएक्टिव एरर) का जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए।

(2) भैंगापन (स्क्विट): तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनोकलर) दृष्टि अनिवार्य हो दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(3) एक आंख: यदि किसी व्यक्ति की एक आंख अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मंद दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरी बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख:

- (1) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे. I का चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टर्स से अधिक न हो।
- (2) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो।
- (3) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित थे:

बशर्ते कि बोर्ड को यह सामान्य हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

(ज) कान्टेक्ट लेन्स: उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कान्टेक्ट लेन्स के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए गए अक्षरों का उद्भासन 15 फुट ऊंचाई के प्रकाश से हो।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है:

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 जमा आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों के ब्लड प्रेशर आकलन करने में 110 में आधी-आधी जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें: सामान्य नियम के रूप में 140 एम.एम. के ऊपर के सिस्टोलिक प्रेशर की और 90 एम.एम. से ऊपर डायस्टोलिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गनिक) बीमारी है? ऐसे सभी केसों में हृदय को एक्सरे और विद्युत हृदय लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारे वाले दबावमापी (मर्करी मैनेमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को पैफला कर समान रूप से लपेटना चाहिए; ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा पूफल कर बाहर न निकले।

कोहनी को मोड़ पर प्रकट धमनी (बेकिअल आर्टरी) को दबाकर ढूँढा जाता है तब तक उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम.एम.एच. जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है। वह सिस्टोलिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्रायः हो जाएं, वह डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए, क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबा रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इसमें रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकालकर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए (कभी-कभी कफ) से हवा निकलने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड की किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल पिफटेनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ पिफट घोषित कर सकता है। एक ग्लूकोज में अमधुमेही (नान-डायबिटिक) हो और

बोर्ड केस को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "पिफ्ट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसका अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से आरोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का परीक्षण करना चाहिए:

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया आपरेशन या हियरिंगेड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है:

(1)	(2)
(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च प्रफीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो, तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरापन या प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रव्ययंत्र (हियरिंगेड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक स्पीच प्रफीक्वेंसीज में बहरापन 3 डेसीबेल तथा जो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य है।
(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्ब्रन में छिद्र।	(1) एक कान सामान्य हो, दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने में दोनों कानों में मार्जिनल अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।
(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टाइड केविटी से सब-नार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप के एक ओर से मस्टाइड केविटी से सुनाई देता हो तो दूसरे कान में सब-नार्मल श्रवण वाले कान/मस्टाइड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (2) दोनों ओर से मस्टाइड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य। यदि किसी भी कान श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया या बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
(6) नसापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनीडिफारमिटी रहित अथवा उससे नाक की प्रदाहक/एलर्जिक दशा)।	(1) प्रत्येक मामले में परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाएगा। (2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।

- (7) टांसिल्ल और/या स्वर यंत्र (लेरिक्स) की जीर्ण दशा । (1) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लेरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक प्रदाहक दशा योग्य ।
(2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
- (8) कान, नाक, गले (ई.एन.टी.)। (1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(2) दुर्दम्य ट्यूमर अयोग्य ।
- (9) आस्टैक्लिरोंसिस श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डैसीबेल के अन्दर होने पर योग्य ।
- (10) कान, नाक अथवा गले के जन्म जात दोष (1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य ।
(2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
- (11) नेजल पोली अस्थायी रूप से अयोग्य

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं। उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(घ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रज्ज्वर है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढी हुई बेरिकोसील, बेरिकाजशिरा (वन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचार की बीमारी है या नहीं ।

(अ) कोई जन्म-जात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उम्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचार (कम्युनिकेवल) रोग है या नहीं ।

11. हृदय तथा पफेफडों की किन्हीं ऐसी असामानताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है ।

अभ्यर्थी के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थाई चिकित्सा मण्डल (संबंधित अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा का संचालन करने वाला) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

12. सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है । उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक वृष्टि अथवा विषयन (एवरेशन) से पीड़ित होने का सन्देह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाध पड़ने की संभावना है या नहीं ।

13. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 50 रु. का अपील शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जायेंगे। शेष दूसरों के बारे में यह जव्त कर लिया जायेगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 2 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में होगी और स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबंध के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसी भी स्थिति हो द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

14. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के संदर्भ में चिकित्सा मानदंड निम्नानुसार हैं :

(क) ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण किसी भी अन्य उम्मीदवार के मामले में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा। हालांकि, कद, वजन तथा फुलाने के बाद छाती के माप के संदर्भ में शारीरिक मानदंड वही होंगे, जो महिला उम्मीदवारों के मामले में लागू हैं। जननांग क्षेत्र की जांच 'पुरुष', 'महिला' या तृतीय श्रेणी की शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(ख) चिकित्सकों के एक विशेष स्थायी चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें (क) प्रसूति रोग (ख) सर्जरी/ मूत्र रोग विज्ञान (यूरोलॉजी) तथा (ग) एंडोक्रिनोलॉजी के चिकित्सक शामिल होंगे। यह बोर्ड इस बात की संपुष्टि करेगा कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति (क) पुरुष से महिला या (ख) महिला से पुरुष है। इस बोर्ड का निष्कर्ष, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिंग को सटीक उप-श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक होगा। सभी ट्रांसजेंडर आवेदकों को अनिवार्य रूप से इस बोर्ड के पास भेजा जाएगा।

महिला उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण संबंधी दिशा-निर्देश :-

(क) उम्मीदवार से उसकी स्त्रीरोग की स्थिति के संबंध में परिवचन लिया जाएगा कि क्या वह किसी रोग से पीड़ित है या वह गर्भधारण किए हुए है या नहीं।

(ख) पेल्विक परीक्षण (फिंगर परीक्षण) केवल लक्षणों वाली विवाहित महिलाओं के मामले में किया जाएगा, यदि इसकी आवश्यकता हो।

(ग) यदि आवश्यकता हो तो एंडोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी (विशेषकर यूटेरस तथा एडनेक्सिया के लिए पेल्विस की) लक्षणों वाली सभी महिला उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी।

(घ) महिला उम्मीदवारों के मामले में रेक्टल परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यूपीटी तथा अल्ट्रासाउंड एंडोमेन एवं पेल्विस जैसे नॉन-इनवेजिव परीक्षणों की सेंसिटिविटी अच्छी होती है, विशेषकर स्त्रीरोग तथा सर्जिकल स्थिति का पता लगाने के दृष्टिकोण से।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :

शारीरिक योग्यता (पिफटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उसे सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना है।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबंध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाये कि जहां प्रश्न

निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में सामान्यतः तीन सदस्य होंगे : (1) एक कार्य-चिकित्सक, (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिए। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में नियुक्त उम्मीदवार को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सख्रवस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (पफील्ड सख्रवस) के योग्य हैं या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत व्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

निश्चित अवधि के बाद अब दुबारा परीक्षा में तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए, उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें

(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए। उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, पफेफड़े की बीमारी, मूर्च्छा के दौर, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

(ख) दूसरी कोई बीमारी या कोई दुर्घटना, जिसके कारण श या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो/हुई है।

4. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें:-

यदि पिता जीवित हो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण की अवस्था	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण
---	---	--	---

1.

2.

3.

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
--	---	--	---

1.

2.

3.

6. क्या इसके पहले मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा ली है?

7. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" में हो तो बताइए कि सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा ली गई थी।

8. परीक्षा लेने वाला अधिकारी कौन था?

9. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुआ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

11. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी होऊंगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रपत्र-I

उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास अच्छा बीच का कम कम पोषण पतला औसत मोटा कद जूते उतार कर वजन अल्पतम वजन कब था?

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान :

छाती का घेराव

(1) पूरे सांस खींचने पर:

(2) पूरे सांस निकालने पर:

2. त्वचायें कोई जाहिर बीमारी

3. नेत्र :

- (1) कोई बीमारी
- (2) रतौंधी
- (3) कलर विजन का दोष
- (4) दृष्टि क्षेत्र (पफील्ड आफ विजन)
- (5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टिविटी)
- (6) फण्डस की जांच

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता
			गोल वर्तूल एक्सिस
दूर की नजर		दा. ने. बा. ने.	
पास की नजर		दा. ने. बा. ने.	

4. कान: निरीक्षण सुनना

- दायां कान
- बायां कान

5. ग्रंथियां थाइराइड

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरिटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय: कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन) गति रेट:- खड़े होने पर 25 बार कुदाए जाने पर

कुदाए जाने के दो मि. बाद

(क) ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक

9. उदरन (पेट): घेर स्पर्शसहायता हथिनया-

(क) दबाकर मालूम पड़ना/लिवर

तिल्ली गुर्दे

ठ्यूमर

(ख) रक्तांश

भगन्दर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगन्दर का संकेत

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)

असमानता

12. जलन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसिल वरिकोसिल आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षाकृ

(क) कैसा दिखाई पड़ता है?

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिपिफिक ग्रेविटी)

(ग) एलबूमन

(घ) शक्कर

- (घ) कास्ट
(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की जांच एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है कि वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

टिप्पण : महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भवर्णी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9।

15. (क) क्या वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर कार्य के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है?

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है?

टिप्पणी 1 : बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

- (i) स्वस्थ
(ii) के कारण अस्वस्थ
(iii) के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार की छाती का एक्स-रे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अंतिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है।

स्थान :

दिनांक :

अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

मेडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र-II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम:(बड़े अक्षरों में)
2. रोल नम्बर:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मेडिकल बोर्ड द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी : बोर्ड को उम्मीदवार की छाती के एक्स-रे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत अपने निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम

- (i) स्वस्थ
(ii) के कारण अस्वस्थ
(iii) के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।

स्थान :

दिनांक :

अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

मेडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट-IV

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाएं

भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्रम सं.	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
क	दृष्टिहीनता (बी)	एच,एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू (ब्रेल/सॉफ्टवेयर में)
	अल्प दृष्टि-लो विजन(एलवी)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई(उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
ख	बधिर(डी)	एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू, एसई
	श्रवण बाधित (एचएच)	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से), एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई
ग	ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), डीडब्ल्यू(बौनापन), एलसी(कुष्ठ उपचारित), एएवी(तेजाबी हमला पीड़ित) तथा सीपी(प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।]
घ	एसएलडी(डिस्कैलकुलिया को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन
ड.	एकाधिक अक्षमता (एमडी) में निम्नलिखित शामिल हैं:-	
	लोकोमोटर अक्षमता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि या दृष्टिहीनता सहित अर्थात् एलवी/बी सहित ओए, एलवी/बी सहित ओएल, एलवी/बी सहित ओएलए, एलवी/बी सहित बीएल, एलवी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलवी/बी सहित एएवी, एलवी/बी सहित एलसी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू(दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)
	लोकोमोटर अक्षमता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता(डी) या श्रवण बाधित (एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलए, डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी	एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच(केवल एचएच के लिए)
	एचएच सहित एलवी	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित)
	लोकोमोटर अक्षमता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) एसएलडी सहित अर्थात् एसएलडी सहित ओए, एसएलडी सहित ओएल, एसएलडी सहित ओएलए, एसएलडी सहित बीएल, एसएलडी सहित एएवी, एसएलडी सहित डीडब्ल्यू	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।]

	एलवी सहित एसएलडी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई(उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित), एन
	एसएलडी सहित एचएच	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन
	एचएच सहित लोकोमोटर अक्षमता (मस्कूलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू(दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)

नोट : एच- सुनना, एसपी- बोलना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, एन- संख्यात्मक परिकलन क्षमता, सी- संचार तथा बीएल- दोनों पांव प्रभावित।

भारतीय आर्थिक सेवा

जिस श्रेणी की पहचान की गई	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
(क) दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि-लो विजन	दृष्टिहीनता (बी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू (ब्रेल/सॉफ्टवेयर में)
	अल्प दृष्टि-लो विजन(एलवी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
(ख) बधिर और श्रवण बाधित	बधिर(डी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई
	श्रवण बाधित (एचएच)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
(ग) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास	ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), सीपी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात), डीडब्ल्यू (बौनापन), एलसी (कुष्ठ उपचारित), एएवी (तेजाबी हमला पीड़ित), तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ़ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ़ की चोट)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।]
(ड.) खंड (क) से (ग) श्रेणी के तहत एकाधिक दिव्यांगता (एमडी) वाले उम्मीदवारों के लिए, खंड (घ) को छोड़कर, इस शर्त के अधीन कि पद को श्रेणी 'क' के अंतर्गत पूर्ण दृष्टिहीनता तथा	लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कूलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि(एलवी) या दृष्टिहीनता (बी) सहित अर्थात् एलवी/बी सहित ओए, एलवी/बी सहित ओएल, एलवी/बी सहित ओएलए, एलवी/बी सहित बीएल, एलवी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलवी/बी सहित एएवी, एलवी/बी सहित एलसी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)
	लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कूलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता (डी) या	एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच (केवल एचएच के लिए)

श्रेणी 'ख' के अंतर्गत पूर्ण बधिरता के जोड़ के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा।	ऊँचा सुनना (एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलए, डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी	
	एचएच सहित एलवी	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित)
	एचएच सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कूलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)

नोट : एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, सी- संचार, एच- सुनना, एसपी- बोलना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, बीएल- दोनों पांव प्रभावित, तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ़ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ़ की चोट)।

.....

परिशिष्ट-V

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र श्री/ सुपुत्री श्री निवासी (गांव/ज़िला/राज्य) जो (विकलांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रस्त है, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट : प्रमाण पत्र सम्बंधित रोग/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिये नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमए)

परिशिष्ट-VI

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध (उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए)

मैं (नाम) (विकलांगता का नाम) विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूँ तथा अनुक्रमांक के तहत (राज्य का नाम) ज़िले के (परीक्षा केंद्र का नाम) केंद्र पर (परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिये श्री (स्क्राइब का नाम) अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उसकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किये अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती है तो मैं इस पद और तत्सम्बन्धी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

(विकलांगता वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट-VII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट) / विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्युकएटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-VIII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2023

RULES

No.11013/01/2023-ISS—The rules for the competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2023 for the purpose of filling vacancies in Junior Time Scale (JTS) of the following services are published with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for general information. All candidates (male/ female/transgender) are requested to carefully read these Rules and the examination notice of the UPSC derived from these Rules.

(i) The Indian Economic Service; and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled through the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections (EWSs) and Persons with Benchmark Disabilities categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate may compete for any one of the Services only viz. the Indian Economic Service or the Indian Statistical Service, for which he/she is eligible in terms of the Rules.

5. A candidate must be either:—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) & (e) above shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.

6. (a) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st August, 2023 i.e he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1993 and not later than 1st August, 2002.

(b) The upper age-limit prescribed above will be relaxable :—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years in the case of candidate belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;
- (iii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof ;
- (iv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2023 and have been released : (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2023 otherwise than by way of dismissal or discharge on account or misconduct or inefficiency; or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service; or (iii) on invalidment;
- (v) up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2023 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;
- (vi) up to a maximum of 10 years in the case of Persons with Benchmark Disabilities viz. (a) blindness and low vision; (b) deaf and hard of hearing; (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst person under clauses (a) to (d) including deaf-blindness.

NOTE 1.- Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are also covered under any Other clauses of rule 6(b) above, viz., those coming under the category of Ex-servicemen and Persons with Benchmark Disabilities will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the categories.

NOTE 2.- The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

NOTE 3.- The age concession under Rule 6(b)(iv) and (v) will be admissible to Ex-servicemen i.e. a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

NOTE 4.- Notwithstanding the provisions of age relaxation under Rule 6(b)(vi) above, a person with Benchmark Disabilities will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirement of physical and medical standard for the concerned Services/ Posts to be allocated to the persons with Benchmark Disabilities by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

The date of birth, accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE-1: Candidate should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission, and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2: Candidates should also note that once date of birth has been submitted by them in the application form and entered in records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any grounds whatsoever.

Provided that in case of an inadvertent/unintentional/ typographical error committed by a candidate in indicating the date of birth in the Online Application Form, the candidate may make a request to the Commission for subsequent rectification along with supporting documents, as specified in the Rule 6 of the Examination and the request may be considered by the Commission, if the same is made within a definite time frame as may be notified by the Commission in its Notice for the Examination.

7(a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a Post-Graduate Degree in Economics/Applied Economics/Business Economics/Econometrics from a University incorporated by or an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a Foreign University approved by the Central Government from time to time.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a Bachelor's Degree with Statistics/Mathematical Statistics/Applied Statistics as one of the subject or a Master's degree in Statistics/Mathematical Statistics/Applied Statistics from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a Foreign University approved by the Central Government from time to time.

NOTE 1 - Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at this examination, but have not been informed of the result, may apply for admission to the examination. Candidates who intended to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination along with the detailed application form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination. Such proof of passing the requisite examination should have been issued latest by the closing date of Detailed Application Form of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination.

NOTE 2 -In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has none of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he/she has passed examinations conducted by other institutions the Standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE 3 -A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a Foreign University which is not recognised by the Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

10. The decision of the commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for, admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Interview Test, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on Verification, at any time, before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission. The candidates will not be allowed to withdraw their applications after the submission of the same.

12(1) A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :-

(a) Obtaining support for candidature by the following means, namely :-

(i) offering illegal gratification to; or

- (ii) applying pressure on; or
- (iii) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (b) impersonation; or
- (c) procuring impersonation by any person; or
- (d) submitting fabricated/incorrect documents or documents which have been tampered with; or
- (e) uploading irrelevant or incorrect photo/signature in the application form in place of actual photo/signature; or
- (f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-
 - (i) obtaining copy of question paper through improper means; or
 - (ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination; or
 - (iii) influencing the examiners; or
- (h) being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
- (j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or
- (l) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched-off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or
- (m) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

in addition to being liable to criminal prosecution, shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period :-

- (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government;

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the clause (n) above.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination for each service as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva voce*.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, or the Other Backward Classes or the Economically Weaker Sections (EWSs) or the Persons with Benchmark Disability may be summoned for *viva voce* by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for *viva voce* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. (i) After the interview, the candidates for each Service will be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order, so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or the Economically Weaker Sections (EWSs) or the Persons with Benchmark Disability may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections (EWSs) and the Persons with Benchmark Disability be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for appointment to the service(s) :

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Economically Weaker Section and Persons with Benchmark Disability who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Section and Persons with Benchmark Disability but shall be recommended by the Commission against the unreserved vacancies.

Note : The facility of scribe, along with compensatory time which is available for eligible candidates belonging to Persons with Benchmark Disability category and the disability of such candidates, which he/she is suffering from in respect of Medical fitness, shall not be treated as relaxations/concession.

15. The prescribed qualifying standard will be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of persons with Benchmark Disabilities in order to fill up the vacancies reserved for them.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination confers no right to allocation & appointment unless Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his/her character and antecedents and certificates produced by him/her during the course of examination for the purpose of eligibility as well as claiming any kind of benefit for reservation is suitable in all respects including medical examination for allocation/appointment to the Service. The decision of the Government in this regard shall be final.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribed, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo Part I of the medical examination and the candidates who are declared finally successful on the basis of this examination, may be required to undergo Part II of the medical examination. The details of Parts I and II of the medical examination are given in the Appendix III to these Rules. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for the medical examination except in the case of appeal.

Note.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled Ex-Defence Service personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Services.

19. The eligibility for availing reservation against the vacancies reserved for the persons with benchmark disability shall be the same as prescribed in “The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016”: The candidates of Multiple Disabilities will be eligible for reservation under category (e) Multiple Disabilities only of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 and shall not be eligible for reservation under any other categories of disabilities i.e. (a) to (d) of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 on account of having 40% and above impairment in any of these categories of PwBD.

Provided further that the persons with benchmark disability shall also be required to meet special eligibility criteria in terms of physical requirements/functional classification (abilities/disabilities) consistent with requirements of the identified service/ post as may be prescribed by its cadre controlling authority as per Appendix IV.

20. A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the Central Government. The candidates will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and in possession of such eligibility certification.

The OBC candidates applying for IES/ISS Exam, 2023 must produce OBC (Non-Creamy Layer) certificate based on the income for the Financial Year (FY) 2022-23, 2021-22 and 2020-21 and issued on/after 01.04.2023 (after completion of FY 2022-23) but not later than the closing date of the application for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2023.

If a candidate indicates in his/her application form for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, that he/she belongs to General category but subsequently writes to the Commission to change his/her category to a reserved one, such request shall not be entertained by the Commission. Further, once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or SC/ST to OBC, SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC.

No reserved category candidates other than those who qualified each stage of the Examination on General **standard**, shall be allowed to change (on their request or as decided by the Commission/Government based on the documents submitted by them) their category from Reserved to Unreserved or claim the vacancies (Cadre) for unreserved category after the declaration of final result by UPSC. In case where such candidates do not qualify on General Standard, their candidature shall be cancelled.

Further no Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate of any subcategory thereunder shall be allowed to change his/her sub-category of disability.

While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notification enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. In such cases the request of change of category from general to reserved may be considered by the Commission on merit.

In case of a candidate unfortunately becoming a candidate belonging to person with benchmark disability during the course of examination, the candidate should produce valid documents to enable the Commission to take a decision in the matter on merit. In case of a candidate unfortunately becoming person with benchmark disability during the course of the examination process, the candidate should produce valid documents showing him/her acquiring a disability to the extent of 40% or more as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 to enable him/her to get the benefits of reservation earmarked for persons with benchmark disability provided he/she otherwise remains eligible for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service as per Rule 19 above.

21. Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC/EWSs/ PwBD/Ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/Notice. They should also be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the Rules/Notice for such benefits by the closing date of the application. The EWS Candidates applying for IES/ISS Exam, 2023 must produce an Income and Asset Certificate on the basis of income of Financial Year 2022-23 and issued on/after 01.04.2023 (after completion of FY 2022-23) but not later than the closing date of the application for Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2023.

22. No person:

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to service(s) :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

23. Brief particulars relating to the Service(s) to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix-II.

TANWEER QAMAR MOHAMMAD, Jt. Secy. (Admin.)

APPENDIX-I SCHEME OF EXAMINATION SECTION-I

The examination shall be conducted according to the following plan—

Part I-Written examination carrying a maximum of 1000 marks in the subjects as shown below.

Part II-Viva voce of such candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 200 marks.

PART-I

The subjects of the written examination under Part-I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :

A. Indian Economic Service

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	100	3 hrs.
2.	General Studies	100	3 hrs.
3.	General Economics-I	200	3 hrs.
4.	General Economics-II	200	3 hrs.
5.	General Economics-III	200	3 hrs.
6.	Indian Economics	200	3 hrs.

B. Indian Statistical Service

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	100	3 hrs.
2.	General Studies	100	3 hrs.
3.	Statistics-I (Objective)	200	2 hrs.
4.	Statistics-II (Objective)	200	2 hrs.
5.	Statistics-III (Descriptive)	200	3 hrs.
6.	Statistics-IV (Descriptive)	200	3 hrs.

Note-1: Statistics I & II will be of Objective Type Questions (80 questions with maximum marks of 200 in each paper) to be attempted in 120 minutes.

Note-2: Statistics III & IV will be of Descriptive Type having Short Answer/ Small Problems Questions (50%) and Long Answer and Comprehension problem questions (50%). At least one Short Answer and One Long Answer Question from each section is compulsory. In Statistics-IV, there will be SEVEN Sections in the paper. Candidates have to choose any TWO Sections out of them. All Sections will carry equal marks.

Note 3 : The papers on General English and General Studies, common to both Indian Economic Service and Indian Statistical Service will be of subjective type.

Note 4 : All other papers of Indian Economic Service will be of subjective type.

Note-5 :The details of standard and syllabi for the examination are given in Section-II below.

2. The question papers in all subjects in Indian Economic Service Examination and in Indian Statistical Service Examination will be of Conventional (essay) type except in Statistics Paper I and Statistics Paper II which are Objective Type Papers.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH; QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4.1 Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, the Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be eligible for the facility of scribe. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2(r) of the RPWD Act, 2016, such candidates will be eligible for the facility of scribe on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix-V.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VII

4.2 The candidates have discretion of opting for his/her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Appendix-VI (for Candidates having 40% disability or more) and Appendix-VIII (for Candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing).

4.3 The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

4.4 The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected – BA) and cerebral palsy will be eligible for Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, such candidates will be eligible for this facility on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix – V.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VII.

4.5 Facility of Scribe and/or Compensatory time to eligible candidates will be provided, if desired by them.

Note (1) : The eligibility conditions of a scribe and his/her conduct inside the examination hall and the manner in which an extent to which he/she can help the eligible candidate (as defined above) in writing the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

Note (2) : The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows:—

Better eye Best Corrected	Worse eye Best Corrected	Per Cent Impairment	Disability category
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0
	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 to No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60 Or Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or heminaopia involving macula	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60 Or Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Less than 3/60 to 1/60 Or Visual field less than 10 degree around centre of fixation	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)
Only HMCF Only Light Perception No Light Perception	Only HMCF Only Light Perception No Light Perception	100%	IV b (Blindness)

4.6 The concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him/her.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers, wherever required, SI Units will be used.

10. Candidates will be allowed the use of Scientific (Non-Programmable type) Calculators in Descriptive Type Papers at the examination. Programmable type calculators will, however, not be allowed and the use of such calculators shall tantamount to resorting to unfair means by the candidates. Loaning or interchanging of calculators in the Examination Hall is not permitted. However, no calculator will be allowed in the Objective Type Papers at the examination.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

PART - II

Viva voce—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his/her career. The object of the interview is to assess his/her suitability for the service for which he/she has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities for the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his/her subjects of academic study but also in events which are happening around him/her both within and outside his/her own State or Country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross-examination, but of a natural, through directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his/her grasp of problems. The Board will pay special attention to assess the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character initiative and capacity for leadership.

SECTION-II

STANDARD AND SYLLABI

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

GENERAL ENGLISH (COMMON TO BOTH IES/ISS)

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workman like use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL STUDIES (COMMON TO BOTH IES/ISS)

General knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of a nature which a candidate should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS – I (For IES only)

PART A :

1. Theory of Consumer's Demand—Cardinal utility Analysis: Marginal utility and demand, Consumer's surplus, Indifference curve Analysis and utility function, Price, income and substitution effects, Slutsky theorem and derivation of demand curve, Revealed preference theory. Duality and indirect utility function and expenditure function, Choice under risk and uncertainty. Simple games of complete information, Concept of Nash equilibrium.

2. Theory of Production: Factors of production and production function. Forms of Production Functions: Cobb Douglas, CES and Fixed coefficient type, Translog production function. Laws of return, Returns to scale and Return to factors of production. Duality and cost function, Measures of productive efficiency of firms, technical and allocative efficiency. Partial Equilibrium versus General Equilibrium approach. Equilibrium of the firm and industry.

3. Theory of Value: Pricing under different market structures, public sector pricing, marginal cost pricing, peak load pricing, cross-subsidy free pricing and average cost pricing. Marshallian and Walrasian stability analysis. Pricing with incomplete information and moral hazard problems.

4. Theory of Distribution: Neo classical distribution theories; Marginal productivity theory of determination of factor prices, Factor shares and adding up problems. Euler's theorem, Pricing of factors under imperfect competition, monopoly and bilateral monopoly. Macro- distribution theories of Ricardo, Marx, Kaldor, Kalecki.

5. Welfare Economics: Inter-personal comparison and aggression problem, Public goods and externalities, Divergence between social and private welfare, compensation principle. Pareto optimality. Social choice and other recent schools, including Coase and Sen.

PART B : Quantitative Methods in Economics

1. Mathematical Methods in Economics: Differentiation and Integration and their application in economics. Optimisation techniques, Sets, Matrices and their application in economics. Linear algebra and Linear programming in economics and Input-output model of Leontief.

2. Statistical and Econometric Methods: Measures of central tendency and dispersions, Correlation and Regression. Time series. Index numbers. Sampling of curves based on various linear and non-linear function. Least square methods and other multivariate analysis (only concepts and interpretation of results). Analysis of Variance, Factor analysis, Principle component analysis, Discriminant analysis. Income distribution: Pareto law of Distribution, lognormal distribution, measurement of income inequality. Lorenz curve and Gini coefficient. Univariate and multivariate regression analysis. Problems and remedies of Heteroscedasticity, Autocorrelation and Multicollinearity.

GENERAL ECONOMICS – II (For IES only)

1. Economic Thought: Mercantilism Physiocrats, Classical, Marxist, Neo-classical, Keynesian and Monetarist schools of thought.

2. **Concept of National Income and Social Accounting:** Measurement of National Income, Inter relationship between three measures of national income in the presence of Government sector and International transactions. Environmental considerations, Green national income.
3. **Theory of employment, Output, Inflation, Money and Finance:** The Classical theory of Employment and Output and Neo classical approaches. Equilibrium, analysis under classical and neo classical approach. Keynesian theory of Employment and Output. Post Keynesian developments. The inflationary gap; Demand pull versus cost push inflation, the Philip's curve and its policy implication. Classical theory of Money, Quantity theory of Money. Friedman's restatement of the quantity theory, the neutrality of money. The supply and demand for loanable funds and equilibrium in financial markets, Keynes' theory on demand for money. IS-LM Model and AD-AS Model in Keynesian Theory.
4. **Financial and Capital Market:** Finance and economic development, financial markets, stock market, gilt market, banking and insurance. Equity markets, Role of primary and secondary markets and efficiency, Derivatives markets; Future and options.
5. **Economic Growth and Development:** Concepts of Economic Growth and Development and their measurement: characteristics of less developed countries and obstacles to their development – growth, poverty and income distribution. Theories of growth: Classical Approach: Adam Smith, Marx and Schumpeter- Neo classical approach; Robinson, Solow, Kaldor and Harrod Domar. Theories of Economic Development, Rostow, Rosenstein-Roden, Nurske, Hirschman, Leibenstein and Arthur Lewis, Amin and Frank (Dependency school) respective role of state and the market. Utilitarian and Welfarist approach to social development and A.K. Sen's critique. Sen's capability approach to economic development. The Human Development Index. Physical quality of Life Index and Human Poverty Index. Basics of Endogenous Growth Theory.
6. **International Economics:** Gains from International Trade, Terms of Trade, policy, international trade and economic development- Theories of International Trade; Ricardo, Haberler, Heckscher- Ohlin and Stopler-Samuelson- Theory of Tariffs- Regional Trade Arrangements. Asian Financial Crisis of 1997, Global Financial Crisis of 2008 and Euro Zone Crisis- Causes and Impact.
7. **Balance of Payments:** Disequilibrium in Balance of Payments, Mechanism of Adjustments, Foreign Trade Multiplier, Exchange Rates, Import and Exchange Controls and Multiple Exchange Rates. IS-LM Model and Mundell- Fleming Model of Balance of Payments.
8. **Global Institutions:** UN agencies dealing with economic aspects, role of Multilateral Development Bodies (MDBs), such as World Bank, IMF and WTO, Multinational Corporations. G-20.

GENERAL ECONOMICS – III (For IES only)

1. **Public Finance**—Theories of taxation: Optimal taxes and tax reforms, incidence of taxation. Theories of public expenditure: objectives and effects of public expenditure, public expenditure policy and social cost benefit analysis, criteria of public investment decisions, social rate of discount, shadow prices of investment, unskilled labour and foreign exchange. Budgetary deficits. Theory of public debt management.
2. **Environmental Economics**—Environmentally sustainable development, Rio process 1992 to 2012, Green GDP, UN Methodology of Integrated Environmental and Economic Accounting. Environmental Values: Users and Non-Users values, option value. Valuation Methods: Stated and revealed preference methods. Design of Environmental Policy Instruments: Pollution taxes and Pollution permits, collective action and informal regulation by local communities. Theories of exhaustible and renewable resources. International environmental agreements, RIO Conventions. Climatic change problems. Kyoto protocol, UNFCCC, Bali Action Plan, Agreements up to 2017, tradable permits and carbon taxes. Carbon Markets and Market Mechanisms. Climate Change Finance and Green Climate Fund.
3. **Industrial Economics**—Market structure, conduct and performance of firms, product differentiation and market concentration, monopolistic price theory and oligopolistic interdependence and pricing, entry preventing pricing, micro level investment decisions and the behaviour of firms, research and development and innovation, market structure and profitability, public policy and development of firms.
4. **State, Market and Planning**—Planning in a developing economy. Planning regulation and market. Indicative planning. Decentralised planning.

INDIAN ECONOMICS (For IES only)

1. **History of development and planning**— Alternative development strategies—goal of self-reliance based on import substitution and protection, the post-1991 globalisation strategies based on stabilisation and structural adjustment packages: fiscal reforms, financial sector reforms and trade reforms.
2. **Federal Finance**—Constitutional provisions relating to fiscal and financial powers of the states, Finance Commissions and their formulae for sharing taxes, Financial aspect of Sarkaria Commission Report, Financial aspects of 73rd and 74th Constitutional Amendments.

3. **Budgeting and Fiscal Policy**—Tax, expenditure, budgetary deficits, pension and fiscal reforms, Public debt management and reforms, Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, Black money and Parallel economy in India—definition, estimates, genesis, consequences and remedies.
4. **Poverty, Unemployment and Human Development**—Estimates of inequality and poverty measures for India, appraisal of Government measures, India's human development record in global perspective. India's population policy and development.
5. **Agriculture and Rural Development Strategies**— Technologies and institutions, land relations and land reforms, rural credit, modern farm inputs and marketing— price policy and subsidies; commercialisation and diversification. Rural development programmes including poverty alleviation programmes, development of economic and social infrastructure and New Rural Employment Guarantee Scheme.
6. **India's experience with Urbanisation and Migration**—Different types of migratory flows and their impact on the economies of their origin and destination, the process of growth of urban settlements; urban development strategies.
7. **Industry: Strategy of industrial development**— Industrial Policy Reform; Reservation Policy relating to small scale industries. Competition policy, Sources of industrial finance. Bank, share market, insurance companies, pension funds, non-banking sources and foreign direct investment, role of foreign capital for direct investment and portfolio investment, Public sector reform, privatisation and disinvestment.
8. **Labour**—Employment, unemployment and underemployment, industrial relations and labour welfare— strategies for employment generation—Urban labour market and informal sector employment, Report of National Commission on Labour, Social issues relating to labour e.g. Child Labour, Bonded Labour International Labour Standard and its impact.
9. **Foreign trade**—Salient features of India's foreign trade, composition, direction and organisation of trade, recent changes in trade, balance of payments, tariff policy, exchange rate, India and WTO requirements. Bilateral Trade Agreements and their implications.
10. **Money and Banking**—Financial sector reforms, Organisation of India's money market, changing roles of the Reserve Bank of India, commercial banks, development finance institutions, foreign banks and non-banking financial institutions, Indian capital market and SEBI, Development in Global Financial Market and its relationship with Indian Financial Sector. Commodity Market in India-Spot and Futures Market, Role of FMC.
11. **Inflation**—Definition, trends, estimates, consequences and remedies (control): Wholesale Price Index. Consumer Price Index: components and trends.

STATISTICS-I (OBJECTIVE TYPE) (For ISS only)

(i) Probability:

Classical and axiomatic definitions of Probability and consequences. Law of total probability, Conditional probability, Bayes' theorem and applications. Discrete and continuous random variables. Distribution functions and their properties.

Standard discrete and continuous probability distributions - Bernoulli, Uniform, Binomial, Poisson, Geometric, Rectangular, Exponential, Normal, Cauchy, Hyper geometric, Multinomial, Laplace, Negative binomial, Beta, Gamma, Lognormal. Random vectors, Joint and marginal distributions, conditional distributions, Distributions of functions of random variables. Modes of convergences of sequences of random variables - in distribution, in probability, with probability one and in mean square. Mathematical expectation and conditional expectation. Characteristic function, moment and probability generating functions, Inversion, uniqueness and continuity theorems. Borel 0-1 law, Kolmogorov's 0-1 law. Tchebycheff's and Kolmogorov's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

(ii) Statistical Methods:

Collection, compilation and presentation of data, charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location, dispersion, skewness and kurtosis. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate normal distribution. Regression-linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient, Partial and multiple correlation, Intraclass correlation, Correlation ratio.

Standard errors and large sample test. Sampling distributions of sample mean, sample variance, t, chi-square and F; tests of significance based on them, Small sample tests.

Non-parametric tests-Goodness of fit, sign, median, run, Wilcoxon, Mann-Whitney, Wald-Wolfowitz and Kolmogorov-Smirnov. Order statistics-minimum, maximum, range and median. Concept of Asymptotic relative efficiency.

(iii) Numerical Analysis:

Finite differences of different orders: Δ , E and D operators, factorial representation of a polynomial, separation of symbols, sub-division of intervals, differences of zero.

Concept of interpolation and extrapolation: Newton Gregory's forward and backward interpolation formulae for equal intervals, divided differences and their properties, Newton's formula for divided difference, Lagrange's formula for unequal intervals, central difference formula due to Gauss, Sterling and Bessel, concept of error terms in interpolation formula.

Inverse interpolation: Different methods of inverse interpolation.

Numerical differentiation: Trapezoidal, Simpson's one-third and three-eighth rule and Waddles rule.

Summation of Series: Whose general term (i) is the first difference of a function (ii) is in geometric progression.

Numerical solutions of differential equations: Euler's Method, Milne's Method, Picard's Method and Runge-Kutta Method.

(iv) Computer application and Data Processing:

Basics of Computer: Operations of a computer, Different units of a computer system like central processing unit, memory unit, arithmetic and logical unit, input unit, output unit etc., Hardware including different types of input, output and peripheral devices, Software, system and application software, number systems, Operating systems, packages and utilities, Low and High level languages, Compiler, Assembler, Memory – RAM, ROM, unit of computer memory (bits, bytes etc.), Network – LAN, WAN, internet, intranet, basics of computer security, virus, antivirus, firewall, spyware, malware etc.

Basics of Programming: Algorithm, Flowchart, Data, Information, Database, overview of different programming languages, frontend and backend of a project, variables, control structures, arrays and their usages, functions, modules, loops, conditional statements, exceptions, debugging and related concepts.

STATISTICS- II (OBJECTIVE TYPE) (For ISS only)**(i) Linear Models:**

Theory of linear estimation, Gauss-Markov linear models, estimable functions, error and estimation space, normal equations and least square estimators, estimation of error variance, estimation with correlated observations, properties of least square estimators, generalized inverse of a matrix and solution of normal equations, variances and covariances of least square estimators.

One way and two-way classifications, fixed, random and mixed effects models. Analysis of variance (two-way classification only), multiple comparison tests due to Tukey, Scheffe and Student-Newmann-Keul-Duncan.

(ii) Statistical Inference and Hypothesis Testing:

Characteristics of good estimator. Estimation methods of maximum likelihood, minimum chi-square, moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator. factorization theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds. Resampling, Bootstrap and Jackknife.

Hypothesis testing: Simple and composite hypotheses. Two kinds of error. Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma. Unbiased test. Randomized test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT, OC and ASN functions. Elements of decision theory.

(iii) Official Statistics:**National and International official statistical system**

Official Statistics: (a) Need, Uses, Users, Reliability, Relevance, Limitations, Transparency, its visibility (b) Compilation, Collection, Processing, Analysis and Dissemination, Agencies Involved, Methods

National Statistical Organization: Vision and Mission, NSSO and CSO; roles and responsibilities; Important activities, Publications etc.

National Statistical Commission: Need, Constitution, its role, functions etc; Legal Acts/ Provisions/ Support for Official Statistics; Important Acts

Index Numbers: Different Types, Need, Data Collection Mechanism, Periodicity, Agencies Involved, Uses

Sector Wise Statistics: Agriculture, Health, Education, Women and Child etc. Important Surveys & Census, Indicators, Agencies and Usages etc.

National Accounts: Definition, Basic Concepts; issues; the Strategy, Collection of Data and Release.

Population Census: Need, Data Collected, Periodicity, Methods of data collection, dissemination, Agencies involved.

Misc: Socio Economic Indicators, Gender Awareness/Statistics, Important Surveys and Censuses.

STATISTICS- III (DESCRIPTIVE TYPE) (For ISS only)

(i) Sampling Techniques:

Concept of population and sample, need for sampling, complete enumeration versus sampling, basic concepts in sampling, sampling and Non-sampling error, Methodologies in sample surveys (questionnaires, sampling design and methods followed in field investigation) by NSSO.

Subjective or purposive sampling, probability sampling or random sampling, simple random sampling with and without replacement, estimation of population mean, population proportions and their standard errors. Stratified random sampling, proportional and optimum allocation, comparison with simple random sampling for fixed sample size. Covariance and Variance Function.

Ratio, product and regression methods of estimation, estimation of population mean, evaluation of Bias and Variance to the first order of approximation, comparison with simple random sampling.

Systematic sampling (when population size (N) is an integer multiple of sampling size (n)). Estimation of population mean and standard error of this estimate, comparison with simple random sampling.

Sampling with probability proportional to size (with and without replacement method), Des Raj and Das estimators for $n=2$, Horvitz-Thomson's estimator

Equal size cluster sampling: estimators of population mean and total and their standard errors, comparison of cluster sampling with SRS in terms of intra-class correlation coefficient.

Concept of multistage sampling and its application, two-stage sampling with equal number of second stage units, estimation of population mean and total. Double sampling in ratio and regression methods of estimation.

Concept of Interpenetrating sub-sampling.

(ii) Econometrics:

Nature of econometrics, the general linear model (GLM) and its extensions, ordinary least squares (OLS) estimation and prediction, generalized least squares (GLS) estimation and prediction, heteroscedastic disturbances, pure and mixed estimation.

Auto correlation, its consequences and tests. Theil BLUS procedure, estimation and prediction, multi-collinearity problem, its implications and tools for handling the problem, ridge regression.

Linear regression and stochastic regression, instrumental variable estimation, errors in variables, autoregressive linear regression, lagged variables, distributed lag models, estimation of lags by OLS method, Koyck's geometric lag model.

Simultaneous linear equations model and its generalization, identification problem, restrictions on structural parameters, rank and order conditions.

Estimation in simultaneous equations model, recursive systems, 2 SLS estimators, limited information estimators, k-class estimators, 3 SLS estimator, full information maximum likelihood method, prediction and simultaneous confidence intervals.

(iii) Applied Statistics:

Index Numbers: Price relatives and quantity or volume relatives, Link and chain relatives composition of index numbers; Laspeyre's, Paasches', Marshal Edgeworth and Fisher index numbers; chain base index number, tests for index number, Construction of index numbers of wholesale and consumer prices, Income distribution-Pareto and Engel curves, Concentration curve, Methods of estimating national income, Inter-sectoral flows, Inter-industry table, Role of CSO. Demand Analysis

Time Series Analysis: Economic time series, different components, illustration, additive and multiplicative models, determination of trend, seasonal and cyclical fluctuations.

Time-series as discrete parameter stochastic process, auto covariance and autocorrelation functions and their properties.

Exploratory time Series analysis, tests for trend and seasonality, exponential and moving average smoothing. Holt and Winters smoothing, forecasting based on smoothing.

Detailed study of the stationary processes: (1) moving average (MA), (2) auto regressive (AR), (3) ARMA and (4) AR integrated MA (ARIMA) models. Box-Jenkins models, choice of AR and MA periods.

Discussion (without proof) of estimation of mean, auto covariance and autocorrelation functions under large sample theory, estimation of ARIMA model parameters.

Spectral analysis of weakly stationary process, periodogram and correlogram analyses, computations based on Fourier transform.

STATISTICS-IV (DESCRIPTIVE TYPE) (For ISS only)

(Equal number of questions i.e. 50% weightage from all the subsections below and

Candidates have to choose any two subsections and answer)

(i) Operations Research and Reliability:

Definition and Scope of Operations Research: phases in Operation Research, models and their solutions, decision-making under uncertainty and risk, use of different criteria, sensitivity analysis.

Transportation and assignment problems. Bellman's principle of optimality, general formulation, computational methods and application of dynamic programming to LPP.

Decision-making in the face of competition, two-person games, pure and mixed strategies, existence of solution and uniqueness of value in zero-sum games, finding solutions in 2×2 , $2 \times m$ and $m \times n$ games.

Analytical structure of inventory problems, EOQ formula of Harris, its sensitivity analysis and extensions allowing quantity discounts and shortages. Multi-item inventory subject to constraints. Models with random demand, the static risk model. P and Q- systems with constant and random lead times.

Queuing models – specification and effectiveness measures. Steady-state solutions of M/M/1 and M/M/c models with associated distributions of queue-length and waiting time. M/G/1 queue and Pollaczek-Khinchine result.

Sequencing and scheduling problems. 2-machine n-job and 3-machine n-job problems with identical machine sequence for all jobs

Branch and Bound method for solving travelling salesman problem.

Replacement problems – Block and age replacement policies.

PERT and CPM – basic concepts. Probability of project completion.

Reliability concepts and measures, components and systems, coherent systems, reliability of coherent systems.

Life-distributions, reliability function, hazard rate, common univariate life distributions – exponential, weibull, gamma, etc.. Bivariate exponential distributions. Estimation of parameters and tests in these models.

Notions of aging – IFR, IFRA, NBU, DMRL and NBUE classes and their duals. Loss of memory property of the exponential distribution.

Reliability estimation based on failure times in variously censored life-tests and in tests with replacement of failed items. Stress-strength reliability and its estimation.

(ii) Demography and Vital Statistics:

Sources of demographic data, census, registration, ad-hoc surveys, Hospital records, Demographic profiles of the Indian Census.

Complete life table and its main features, Uses of life table. Makehams and Gompertz curves. National life tables. UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations.

Measurement of Fertility: Crude birth rate, General fertility rate, Age specific birth rate, Total fertility rate, Gross reproduction rate, Net reproduction rate.

Measurement of Mortality: Crude death rate, Standardized death rates, Age-specific death rates, Infant Mortality rate, Death rate by cause.

Internal migration and its measurement, migration models, concept of international migration. Net migration. International and postcensal estimates. Projection method including logistic curve fitting. Decennial population census in India.

(iii) Survival Analysis and Clinical Trial:

Concept of time, order and random censoring, likelihood in the distributions – exponential, gamma, Weibull, lognormal, Pareto, Linear failure rate, inference for these distribution.

Life tables, failure rate, mean residual life and their elementary classes and their properties.

Estimation of survival function – actuarial estimator, Kaplan – Meier estimator, estimation under the assumption of IFR/DFR, tests of exponentiality against non-parametric classes, total time on test.

Two sample problem – Gehan test, log rank test.

Semi-parametric regression for failure rate – Cox's proportional hazards model with one and several covariates, rank test for the regression coefficient.

Competing risk model, parametric and non-parametric inference for this model.

Introduction to clinical trials: the need and ethics of clinical trials, bias and random error in clinical studies, conduct of clinical trials, overview of Phase I – IV trials, multicenter trials.

Data management: data definitions, case report forms, database design, data collection systems for good clinical practice.

Design of clinical trials: parallel vs. cross-over designs, cross-sectional vs. longitudinal designs, review of factorial designs, objectives and endpoints of clinical trials, design of Phase I trials, design of single-stage and multi-stage Phase II trials, design and monitoring of phase III trials with sequential stopping,

Reporting and analysis: analysis of categorical outcomes from Phase I – III trials, analysis of survival data from clinical trials.

(iv) Quality Control:

Statistical process and product control: Quality of a product, need for quality control, basic concept of process control, process capability and product control, general theory of control charts, causes of variation in quality, control limits, sub grouping summary of out of control criteria, charts for attributes p chart, np chart, c-chart, V chart, charts for variables: $\bar{X}$, R , $(\bar{X}, R)$, $(\bar{X}, \sigma)$ charts.

Basic concepts of process monitoring and control; process capability and process optimization.

General theory and review of control charts for attribute and variable data; O.C. and A.R.L. of control charts; control by gauging; moving average and exponentially weighted moving average charts; Cu-Sum charts using V-masks and decision intervals; Economic design of X-bar chart.

Acceptance sampling plans for attributes inspection; single and double sampling plans and their properties; plans for inspection by variables for one-sided and two sided specification.

(v) Multivariate Analysis:

Multivariate normal distribution and its properties. Random sampling from multivariate normal distribution. Maximum likelihood estimators of parameters, distribution of sample mean vector.

Wishart matrix – its distribution and properties, distribution of sample generalized variance, null and non-null distribution of multiple correlation coefficients.

Hotelling's T^2 and its sampling distribution, application in test on mean vector for one and more multivariate normal population and also on equality of components of a mean vector in multivariate normal population.

Classification problem: Standards of good classification, procedure of classification based on multivariate normal distributions.

Principal components, dimension reduction, canonical variates and canonical correlation —definition, use, estimation and computation.

(vi) Design and Analysis of Experiments:

Analysis of variance for one way and two way classifications, Need for design of experiments, basic principle of experimental design (randomization, replication and local control), complete analysis and layout of completely randomized design, randomized block design and Latin square design, Missing plot technique. Split Plot Design and Strip Plot Design.

Factorial experiments and confounding in 2^n and 3^n experiments. Analysis of covariance. Analysis of non-orthogonal data. Analysis of missing data.

(vii) Computing with C and R :

Basics of C: Components of C language, structure of a C program, Data type, basic data types, Enumerated data types, Derived data types, variable declaration, Local, Global, Parametric variables, Assignment of Variables, Numeric, Character, Real and String constants, Arithmetic, Relation and Logical operators, Assignment operators, Increment and decrement operators, conditional operators, Bitwise operators, Type modifiers and expressions, writing and interpreting expressions, using expressions in statements. Basic input/output.

Control statements: conditional statements, if - else, nesting of if - else, else if ladder, switch statements, loops in c, for, while, do - while loops, break, continue, exit (), goto and label declarations, One dimensional two dimensional and multidimensional arrays. Storage classes: Automatic variables, External variables, Static variables, Scope and lifetime of declarations.

Functions: classification of functions, functions definition and declaration, assessing a function, return statement, parameter passing in functions. Pointers (concept only).

Structure: Definition and declaration; structure (initialization) comparison of structure variable; Array of structures : array within structures, structures within structures, passing structures to functions; Unions accessing a union member, union of structure, initialization of a union variable, uses of union. Introduction to linked list, linear linked list, insertion of a node in list, removal of a node from list.

Files in C: Defining and opening a file, input – output operation on a file, creating a file, reading a file.

Statistics Methods and techniques in R.

APPENDIX-II

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE THROUGH THIS EXAMINATION

1. Candidates selected for appointment to either of two services will be appointed to Junior Time Scale of the Services on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests as the Government may determine.
2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he/she is unlikely to become efficient Government may discharge him/her forthwith.
3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment, Government may discharge him.
4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment, be confirmed in his/her appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.
5. Prescribed scales of pay for the Services to which the recruitment is being made are as follows:

(A) Indian Economic Service

No.	Level/Post	Pay Level and Pay Matrix
(i)	Higher Administrative Grade +/ Principal Adviser	Level 17 - Rs.2,25,000
(ii)	Higher Administrative Grade/Senior Economic Adviser/Senior Adviser	Level 15 - Rs.1,82,200 - 2,24,100
(iii)	Senior Administrative Grade/ Economic Adviser/Adviser	Level 14 - Rs.1,44,200 – 2,18,200
(iv)	Non-Functional Selection Grade Director/ Addl. Economic Adviser	Level 13 - Rs.1,18,500 – 2,14,100
(v)	Junior Administrative Grade/Joint Director/Dy. Economic Adviser	Level 12 - Rs.78,800 – 2,09,200
(vi)	Senior Time Scale/Dy. Director/ Asstt. Economic Adviser	Level 11 - Rs.67,700 – 2,08,700
(vii)	Junior Time Scale/Asstt. Director/Research Officer	Level 10 - Rs.56,100 – 1,77,500

(B) Indian Statistical Service

	Level/Post	Pay Level and Pay Matrix
(i)	High Administrative Grade Plus	Level 16 - Rs.2,05,400 - 2,24,400
(ii)	High Administrative Grade	Level 15 - Rs.1,82,200 - 2,24,100
(iii)	Senior Administrative Grade	Level 14 - Rs.1,44,200 – 2,18,200
(iv)	Non- Functional Selection Grade	Level 13 - Rs.1,18,500 – 2,14,100
(v)	Junior Administrative Grade	Level 12 - Rs.78,800 – 2,09,200
(vi)	Senior Time Scale	Level 11 - Rs.67,700 – 2,08,700
(vii)	Junior Time Scale	Level 10 - Rs.56,100 – 1,77,500

6. Promotion to the next Grade of the service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service/Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Economic Service/Indian Statistical Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any State Government or non-Governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Conditions of Service, leave and pension, etc. for officers of the Service will be governed by the rule applicable to members of others Central Civil Services Group 'A'.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Service) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX-III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

1. These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners.

Note.—“The Medical Board while conducting medical examination of the candidates who have applied against the posts reserved for persons with Benchmark Disability will keep the relevant provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 wherein the extent of permissible physical disability has been defined.

2. (a) The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

(b) The medical examination shall be conducted in two parts, i.e. Part I which shall consist of the entire medical examination which the medical board may prescribe for a candidate except the Radiographic Examination of the chest (X-ray test) and Part II which shall consist of Radiographic Examination (X-ray test of the chest). The Part II shall be conducted only in respect of the candidates who have been declared finally successful on the basis of the examination.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his/her appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth to the candidates should be hospitalized for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

However, the X-ray of the chest will be done in respect of only such candidates who are directed to appear before the Medical Board for Part II of the medical examination.

3. The candidates height will be measured as follows :—

He/she remove his/her shoes and be placed against the standard with his/her feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He/she will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard. The chain will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeters' and part of a centimeter to halves.

4. The candidates chest will be measured, as follows :

He/she will be made to stand erect with his/her feet together and to raise his/her arms over his/her head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeter 84-89, 86-93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimeter should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighted, and his/her weight recorded in kilograms; fraction of half kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses:

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/9	6/9 or 6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

(e) **Field of Vision.**—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) **Night Blindness.**—Broadly there are two types of night blindness : (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Refinitis Pigmentosa in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished Persons and improves by the large doses of Vit. A and (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the conditions. For (2) specially when fundus is not involved electro-retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation) and retinography are time consuming and require specialized set-up and equipment and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) **Ocular condition, other than visual acuity.**—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) Squint.—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) One eye.—If a person has one eye or if he/she has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The Medical Board may recommend as fit such person provided the normal eye has :

(i) 6/6 distant vision and J-I near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) full field of vision.

(iii) normal colour vision, wherever required :

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) **Contact Lenses.**—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests the, illumination of the type letters for distant vision should have an illumination 15 foot-candles.

7. Blood Pressure.—The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :

(i) With young subjects 15—25 years of the age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalized by the Board before giving their Final opinion regarding the candidate's fitness otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure, is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury monometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement provided the patient and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm supported comfortably at the patient's side in it more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of clothes bandage should spread evenly over the arm to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. This is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly

deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard or at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. The 'Silent Gap' may cause error on reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. It expect for the glycosuria the Board finds the candidate confirm to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination, clinical and laboratory he/she considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his/her opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be 'necessary to retain a candidate for several days in hospital' under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :

(a) That the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist :

provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

- | | |
|---|---|
| (1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal | Fit for non-technical jobs if the deafness is up to 30 decibels in higher frequency. |
| (2) Perceptive, deafness in both ears in which some improvement is possible | Fit in respect of both technical and non-technical job if the deafness is up to 30 decibels in speech frequency of 1000 to 4000. |
| (3) Perforation, tympanic membrane of central or marginal type. | (i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. |
| (4) Ears with Mastoid cavity, sub-normal hearing on one side/on both sides. | Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below:
(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
(iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit. |
| (5) Persistently/discharging ear operated/unoperated. | Temporarily unfit for both technical and non-technical jobs. |
| (6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum. | (i) A decision will be taken as per circumstances of individual case.
(ii) If deviated nasal septum is present with symptoms—Temporarily unfit. |
| (7) Chronic inflammatory/ conditions of tonsils and or Larynx. Larynx—Fit. | (i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or
(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then —Temporarily unfit. |
| (8) Benign or locally malignant tumours of the ENT | (i) Benign tumors—Temporarily unfit.
(ii) Malignant tumors—Unfit. |
| (9) Otosclerosis | If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit. |
| (10) Congenital defects of ear, nose or throat. | (i) If not interfering with functions —Fit.
(ii) Stuttering of severe degree—Unfit. |
| (11) Nasal Poly | (i) Temporarily Unfit; |

- (b) that his/her speech is without impediment;
- (c) that his/her teeth are in good order and that he/she provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be consider as sound);
- (d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient; and that his//her heart and lungs are sound;
- (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
- (f) that he/she is not ruptured;
- (g) that he/she does not suffer from hydrocele a severe degree of varicoele, varicose veins or piles;
- (h) that his/her limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;
- (i) that he/she does not suffer from any inveterate skin-disease;
- (j) that there is no congenital malformation or defect;
- (k) that he/she does bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitutions;
- (l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and
- (m) that he/she is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination, will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the concerned Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

12. In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his/her opinion whether or not it is likely to interfere with efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

13. The candidate filing an appeal against the decision of the Medical Board has to deposit an appeal fee of Rs.50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible to the journey performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs or the M/o Statistics and Programme Implementation as the case may be; on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

14. The medical standards in respect of transgender candidates of Indian Economic Service/Indian Statistical Service are as follows :

- (a) Transgender candidates shall be examined as per the format for any other candidates. However, the physical parameters like Height, Weight and Chest expansion, the limits as applicable to female shall be applicable. While examining the genital region, the physical characteristics shall be examined for 'Male', 'Female' or the Third category.
- (b) A special Standing Medical Board of doctor comprising (a) Gynecology, (b) Surgery/Urology and (c) Endocrinology shall confirm the facts whether transgender person is (a) Male to Female or (b) Female to Male. This board's findings shall be necessary to put the sex of the transgender person in the correct sub-category. All transgender applicants shall be mandatorily referred to this board.

Physical examination guidelines for female candidates :-

- (a) An undertaking shall be taken from the candidate regarding her gynecological condition whether she is suffering from any disease/pregnancy or not.

- (b) Pelvic examination (finger examination) is to be performed only in symptomatic married candidate if need arises.
- (c) Ultrasonography abdomen (especially pelvis for uterus and adnexa) to be done for all symptomatic female candidate if need arises.
- (d) Rectal exam is not needed for female candidates. Non-invasive test like UPT and Ultrasound abdomen and pelvis have good sensitivity and specifically to detect Gynecological and surgical condition.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority as the case may be, that he/she as no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him/her likely to unfit him/her for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members: (i) a Physician, (ii) a Surgeon and (iii) an Ophthalmologist all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his/her fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board. In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment, (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In case of candidates who are to be declared "Temporarily unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum.

On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his/her Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His/her attention is specially directed to the warning contained in the note below :

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place
3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assamese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race.
- (b) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung diseases, fainting attacks, rheumatism appendicitis

or

Any other disease of accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause

5. Furnish the following particulars concerning your family :

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at death and cause of death
--	--	--	--

1.
2.
3.

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at death and cause of death
--	--	---	---

1.
2.
3.

6. Have you been examined by a Medical Board before?

7. If answer to above is 'yes' please state what Service/ Services, you were examined for ?

8. Who was the examining authority?

9. When and where was the Medical Board held?

10 Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if, know?

11. All the above answers, are to the best of my knowledge and belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me, or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at anytime during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature
Signed in my presence

Signature of the Chairman of the Board

PROFORMA—I

Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical examination

1. General development..... Good..... fair..... poor.....

Nutrition:

Thin Average Chest Height (without shoes)

Weight.....Best.....

Weight..... When?.....any recent change in weight?..... Temperature.....

Girth of Chest:

(1) After full inspiration

(2) After full expiration.....

2.Skin any obvious disease.....

3. Eyes:

(1) Any disease

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity.....

(6) Fundus examination.....

Acquity of vision	Naked eye with glasses	Strength of glasses	Sph. Cly. Axis
----------------------	---------------------------	------------------------	----------------

Distant Vision

R.E.

L.E.

Near Vision

R.E.

L.E.

4. Ears : Inspection.....Hearing
Right Ear..... Left Ear
5. Glands Thyroid
6. Condition of teeth
7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ? If yes, explain fully :
8. Circulatory System
(a) Heart : Any organic lesions?
..... Rate
Standing.....
After hopping 25 Times
2 minutes after hopping
(b) Blood Pressure Systolic.....
Diastolic.....
9. Abdomen: Girth..... Tenderness.....
Hernia.....
- (a) Palpable: Liver..... Spleen.....
Kidneys.....Tumours.....
- (b) Haemorrhoids..... Fistula.....
10. Nervous System Indication of nervous of mental Disabilities
11. Loco-Motor System : Any abnormality
12. Genito Urinary System : Any evidence of varicocoele, etc. Urine Analysis :
(a) Physical appearance.....
(b) Sp. Gr.
(c) Albumen.....
(d) Sugar.....
(e) Casts.....
13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest
14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

Note : In case of female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in-all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service/Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note (I) : The Board should record their findings under one of the following three categories:

(i) Fit

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Note (II) : The candidate has not undergone chest X-ray test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-ray test.

Place :

Date :

Chairman
Signature Member
Member
Seal of the Medical Board

PROFORMA—II
Candidate's Statement/Declaration

1. State your Name
(in block letters)
2. Roll No.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

To be filled-in by the Medical Board

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories in respect of chest X-ray test of the candidate.

Name of the Candidate

(i)Fit.....

(ii)Unfit on account of.....

(iii)Temporarily unfit on account of.....

Place:

Date:

Chairman
Signature Member
Member

Seal of the Medical Board

Appendix-IV

**A list of Services Identified suitable for Persons with Benchmark Disability
along with the Functional Classifications and Physical Requirements**

Indian Statistical Service

Sl.	Functional Classification	Physical Requirements
a	Blindness (B)	H, SP, S, ST, W, MF, RW (in Braille/software)
	Low Vision (LV)	H, SP, S, ST, W, MF, RW, SE (with appropriate aids)
b	Deaf (D)	SP, S, ST, W, MF, RW, SE
	Hard of Hearing (HH)	H (with appropriate aids), SP, S, ST, W, MF, RW, SE
c	OA (One Arm affected), OL (One leg affected), OLA (One arm and one leg affected), BL (Both leg affected) , DW (Dwarfism), LC (Leprosy Cured), AAV (Acid Attack Victims) and CP (Cerebral Palsy)	H, SP, S, ST, W, MF, RW, SE [Mobility should not be affected. Persons should be assessed with appropriate aids and appliances].
d	SLD (except dyscalculia)	H, SP, S, ST, W, MF, RW, SE, N
e	Multiple Disability (MD) involve the following:- • Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with low vision or blindness i.e. OA with LV/B, OL with LV/B, OLA with LV/B, BL with LV/B, DW with LV/B, AAV with LV/B, LC with LV/B.	H, SP, S, ST, W, MF, RW (for Blindness in Braille/software), SE (for LV only)
	• Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with Deaf (D) or Hard of Hearing (HH) i.e. OA with D/HH, OL with D/HH, OLA with D/HH, BL with D/HH, DW with D/HH, AAV with D/HH, LC with D/HH.	SP, S, ST, W, MF, RW, SE, H (for HH only)
	• LV with HH	H (with appropriate aids), SP, S, ST, W, MF, RW, SE (with appropriate aids)
	• Locomotor disability (excluding muscular dystrophy) with SLD i.e. OA with SLD, OL with SLD, OAL with SLD, BL with SLD, AAV with SLD, DW with SLD	H, SP, S, ST, W, MF, RW, SE, N [Mobility should not be affected. Persons should be assessed with appropriate aids and appliances].
	• SLD with LV	H, SP, S, ST, W, MF, RW, SE (with appropriate aids), N

Sl.	Functional Classification	Physical Requirements
	• SLD with HH	H (with appropriate aids), SP, S, ST, W, MF, RW, SE, N
	• Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with HH	H, SP, S, ST, W, MF, RW (for Blindness in Braille/software), SE (for LV only)

Note : H- Hearing, SP - Speaking, S – Sitting, ST – Standing, W – Walking, MF – Manipulation by fingers, RW – Reading & Writing, SE – Seeing, OA - One Arm affected, OL - One Leg affected, OLA - One Leg One Arm affected, N- Numerical calculation ability, C - Communication and BL - Both legs affected.

Category for which identified	Functional Classification	Physical Requirements
(a) Blindness and Low Vision	Blindness (B)	MF, S, ST, W, C, H, SP, RW (in Braille/software)
	Low Vision (LV)	MF, S, ST, W, C, H, SP, RW, SE with appropriate aids)
(b) Deaf and Hard of Hearing	Deaf (D)	MF, S, ST, W, C, SP, RW, SE
	Hard of Hearing (HH)	MF, S, ST, W, C, SP, RW, SE, H (with appropriate aids)
(c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism and acid attack victims	OA (One Arm affected), OL (One leg affected), OLA (One arm and one leg affected), BL (Both leg affected), CP (Cerebral Palsy), DW (Dwarfism), LC (Leprosy Cured), AAV (Acid Attack Victims), SD (Spinal Deformity) and SI (Spinal Injury) without any associated neurological/limb dysfunction	MF, S, ST, W, C, SP, RW, SE, H [Mobility should not be affected. Persons should be assessed with appropriate aids and appliances].
(e) Multiple Disabilities (from amongst category (a) to (c) excluding category (d), subject to the condition that the post shall not be earmarked for combination of complete blindness under category (a) and complete deafness under category (b).	• Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with low vision (LV) or blindness (B) i.e. OA with LV/B, OL with LV/B, OLA with LV/B, BL with LV/B, DW with LV/B, AAV with LV/B, LC with LV/B.	H, SP, S, ST, W, MF, RW (for Blindness in Braille/ software), SE (for LV only)
	• Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with Deaf (D) or Hard of Hearing (HH) i.e. OA with D/HH, OL with D/HH, OLA with D/HH, BL with D/HH, DW with D/HH, AAV with D/HH, LC with D/HH.	SP, S, ST, W, MF, RW, SE, H (for HH only)
	• LV with HH	H (with appropriate aids), SP, S, ST, W, MF, RW, SE (with appropriate aids)
	• Locomotor Disability (excluding muscular dystrophy) with HH	H, SP, S, ST, W, MF, RW (for Blindness in Braille/ software), SE (for LV only)

Indian Economic Service

Note : MF – Manipulation by fingers, S – Sitting, ST – Standing, W – Walking, C – Communication, H- Hearing, SP - Speaking, RW – Reading & Writing, SE – Seeing, OA - One Arm affected, OL - One Leg affected, OLA - One Leg One Arm affected and BL - Both legs affected SD (Spinal Deformity) and SI (Spinal Injury) without any associated neurological/limb dysfunction.

Appendix – V**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with benchmark disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o....., a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature**Chief Medical Officer/Civil Surgeon /****Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.**

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Appendix – VI

**Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)**

I....., a candidate with.....(name of the disability) appearing for the (name of the examination)..... bearing Roll No..... at (name of the centre) in the District, (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidates with Disability)**Place:****Date:****Appendix-VII**

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs. (name of the candidate), S/o/D/o a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR Specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer Chairperson				

Name of Government Hospital / Health Care Centre with seal

Place :

Date :

Appendix-VIII

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I, a candidate with (nature of disability/condition) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No..... at (name of the centre) in the District, (name of the state). My educational qualification is

2. I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his/her qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :